Con. 3. X.8.49
320

अंक 10
संख्या 8

शनिवार
15 अक्तूबर
सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान सभा

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

	पृष्ठ
संविधान सभा के नियम (संशोधन)	3175-3218
संविधान का मसौदा–(जारी)	3219-3236
[प्रथम अनुसूची पर विचार]	

भारतीय संविधान सभा

शनिवार, 15 अक्तूबर, 1949

भारतीय संविधान-सभा कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 10 बजे अध्यक्ष महोदय (माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत् हुई।

***एक माननीय सदस्यः** क्या मैं जान सकता हूं यह सत्र कब समाप्त होगा?

***अध्यक्षः** मेरे विचार से अभी एक दिन के लिये तो काम है और इसलिये हमें सोमवार को अथवा रविवार को सभा की एक बैठक करनी होगी। आज सभा स्थगित करने के पूर्व हम इस सम्बन्ध में निर्णय करेंगे कि सभा की अगली बैठक कब हो। इस समय मैं केवल यह कह सकता हूं कि हमें एक दिन और बैठक करनी होगी। संभव है कल करनी पड़े या परसों, यह सभा की इच्छा पर निर्भर है।

***सेठ गोविन्द दास** (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): मेरा यह प्रस्ताव है कि हम कल बैठक करें न कि सोमवार को।

***अध्यक्षः** मैं यह जानने का प्रयास करूंगा कि सदस्यों की इच्छा क्या है।

***श्रीमती ऐनी मैसकरीन** (संयुक्त राज्य-तिरुवांकुर और कोचीन): हम ईसाई लोग चाहते हैं कि रविवार को कोई कार्य नहीं किया जाये।

***अध्यक्षः** रविवार को बैठक करने पर ईसाई सदस्यों को आपत्ति है।

***माननीय सदस्यः** एक बार, रविवार को हमने बैठक की है।

***अध्यक्षः** किन्तु उससे ईसाई सदस्य रविवार की बैठकों पर आपत्ति करने के अधिकार से वंचित नहीं होते। आज अन्त में मैं यह जानने का प्रयास करूंगा कि सभा की इच्छा क्या है।

***श्री के.एम. मुन्शी** (बम्बई : जनरल): श्रीमान, प्रथम अनुसूची के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है.....

***अध्यक्षः** पहले हम श्रीमती जी. दुर्गाबाई के प्रस्ताव को निबटायेंगे, जो नियम 38-द के स्थान पर अन्य नियम रखने के सम्बन्ध में है।

संविधान सभा के नियम (संशोधन)

नवीन नियम 38-द और 38-दद

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करती हूं कि:

"संविधान सभा के नियमों के नियम 38-द के स्थान पर ये नियम रखे जायें:—

Revision of the Constitution by the Drafting Committee and the consideration of the amendment recommended by them.

'38R. (1) When a motion that the Constitution be taken into consideration has been carried and the amendments to the Constitution moved have been considered, the President shall refer the Constitution as amended to the Drafting Committee referred to in sub-rule (1) of rule 38-L with instructions to carry out such re-numbering of the clauses, such revision of punctuation and such revision and completion of the marginal notes thereof as may be necessary and to recommend such formal or consequential or other necessary amendments to the Constitution as may be required.

(2) After the Constitution has been referred to the Drafting Committee, the report of the Committee shall be presented to the Assembly by the Chairman or any other member of the Drafting Committee and thereafter the Chairman or other member of the Committee may move that the amendments recommended by the Committee in the Constitution so referred to them be taken into consideration:

Provided that no such motion shall be made until after the report of the Drafting Committee together with the copies of the Constitution as revised by them has been made available for the use of members and that any member may object to any such motion being made unless the report and the copies of the Constitution as so revised have been made available three clear days before the date on which the motion is made, and such objection shall prevail unless the President in his discretion allows the motion to be made.

(3) While making any motion referred to in sub-rule (2), the mover shall confine himself to an explanatory statement and at this stage there shall be no debate, and the President may, after such statement has been made, put the question.

(4) After the motion referred to in sub-rule (2) has been carried, any member may move an amendment which is either formal or consequential upon an amendment recommended in any provision of the Constitution by the Drafting Committee after the Constitution was referred to them under sub-rule (1) but shall not be allowed to move any other amendment.

(5) If notice of a proposed amendment has not been given two clear days before the day on which the motion referred to in sub-rule (2) is to be taken up for consideration, any member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail unless the President in his discretion allows the amendment to be moved.

(6) Notwithstanding anything in these rules, all the amendments recommended by the Drafting Committee, after the Constitution was referred to them under sub-rule (1), shall be deemed to have been moved, and it shall not be necessary for the President to put each of those amendments separately to vote.

(7) The provisions of sub-rules (2) and (3) of rule 38-P shall apply to every amendment of which notice has been given under sub-rule (5), and notwithstanding anything in these rules it shall be in the discretion of the President to disallow any amendment of which notice has been so given.

(8) The President shall allot not more than two days for the consideration by the Assembly of all amendments after the motion referred to in sub-rule (2) has been carried and shall, at the time appointed by him for the close of the sitting of the Assembly on the last of the allotted days,

[श्रीमती जी. दुर्गाबाई]

forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with those amendments, and in the case of amendments recommended by the Drafting Committee as such, he shall put only the question that the amendments so recommended be made or that the amendments so recommended as modified by any amendment or amendments adopted by the Assembly be made, as the case may be.

(9) For the purpose of bringing to a conclusion any proceedings relating to such amendments on the last of the allotted days, the President shall have power to select the amendments to be proposed.' "

मसौदा समिति द्वारा संविधान का पुनर्विलोकन और उसने जिस संशोधन की सिफारिश की हो उस पर विचार।

[38-द (1) जब यह प्रस्ताव कि संविधान पर विचार किया जाये पारित हो गया हो और संविधान संबंधी जो संशोधन उपस्थित किये गये हों उन पर विचार हो गया हो तब अध्यक्ष संविधान को, संशोधित रूप में, नियम 38 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट मसौदा समिति के पास भेजेगा और आदेश देगा कि आवश्यकतानुसार खंडों की पुनर्गणना की जाये, विरामों को फिर से लगाया जाये और हाशिये के लेखों को दुहराया जाये और पूरा किया जाये और संविधान संबंधी ऐसे रस्मी अथवा आनुषंगिक अथवा अन्य आवश्यक संशोधनों की सिफारिश की जाये।

(2) संविधान को मसौदा समिति के पास भेजने के पश्चात् समिति के प्रतिवेदन को मसौदा-समिति का सभापति अथवा अन्य कोई सदस्य सभा में उपस्थित करेगा और तत्पश्चात् समिति का सभापति अथवा अन्य कोई सदस्य यह प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है कि उसके पास जो संविधान भेजा गया था उसके संबंध में समिति ने जिन संशोधनों की सिफारिश की है, उन पर विचार किया जाये:

परन्तु जब तक मसौदा-समिति का प्रतिवेदन तथा उसके साथ उसके दुहराये हुए संविधान की प्रतियां सदस्यों के उपयोग के लिये उपलब्ध न की जायें तब तक इस प्रकार का कोई प्रस्ताव उपस्थित न किया जायेगा और प्रस्ताव उपस्थित करने के दिन से पूरे तीन दिन पहले यदि यह प्रतिवेदन और संविधान की दुहराई हुई प्रतियां उपलब्ध न की जायें तो कोई भी सदस्य इस पर आपत्ति कर सकता है, और जब तक कि अध्यक्ष स्वविवेक से प्रस्ताव उपस्थित करने की आज्ञा न दे तब तक यह आपत्ति अभिभावी होगी।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट किसी प्रस्ताव को उपस्थित करते समय प्रस्तावक अपने को व्याख्यात्मक वक्तव्य तक ही सीमित रखेगा और इस अवसर पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा और अध्यक्ष, इस वक्तव्य के पश्चात् प्रस्ताव पर मत ले सकता है।

(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात्, कोई भी सदस्य किसी रस्मी संशोधन को अथवा किसी ऐसे संशोधन के आनुषंगिक संशोधन को उपस्थित कर सकता है जिसकी मसौदा-समिति ने उपनियम (1) के अधीन उसके पास संविधान भेजे जाने पर किसी उपबन्ध के संबंध में सिफारिश की हो, किन्तु उसे किसी अन्य संशोधन को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

(5) यदि किसी प्रस्तावित संशोधन की सूचना उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रस्ताव पर विचार करने के दिन के पूरे दो दिन पूर्व नहीं की गई हो तो कोई भी सदस्य उस संशोधन के उपस्थित किये जाने पर आपत्ति कर सकता है और जब तक अध्यक्ष स्वविवेक से संशोधन को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दे तब तक यह आपत्ति अभिभावी होगी।

(6) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी मसौदा-समिति ने, उसके पास उपनियम (1) के अधीन संविधान के भेजे जाने के पश्चात्, जिन संशोधनों की सिफारिश की हो, वे सब उपस्थित किये गये समझे जायेंगे और अध्यक्ष के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह उन संशोधनों में से प्रत्येक संशोधन पर पृथक् मत ले।

(7) नियम 38-त के उपनियम (2) और (3) के उपबन्ध ऐसे प्रत्येक संशोधन को लागू होंगे जिसकी उपनियम (5) के अधीन सूचना दी गई हो और इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष स्वविवेक से किसी ऐसे संशोधन की आज्ञा नहीं दे सकता है जिसकी इस प्रकार सूचना दी गई हो।

(8) अध्यक्ष उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात्, सभी संशोधनों पर सभा के विचार करने के लिये दो दिन से अधिक नहीं देगा और दिये हुए दिनों में से अन्तिम दिन को सभा की बैठक समाप्त करने के लिये उसने जो समय निश्चित किया हो उस समय इन संशोधनों के संबंध में सभी रहे हुए प्रश्नों को निबटाने के लिये प्रत्येक प्रश्न पर मत लेगा और उन संशोधनों के संबंध में, जिनकी सिफारिश मसौदा-समिति ने की हो, वह केवल इस प्रश्न पर मत लेगा कि जिन संशोधनों की सिफारिश की गई है उन्हें किया जाये अथवा, यथास्थिति, जिन संशोधनों की सिफारिश की गई है उन्हें सभा द्वारा स्वीकृत किसी संशोधन अथवा संशोधनों द्वारा परिवर्तित रूप में किया जाये।

(9) दिये हुए दिनों में से अन्तिम दिन को इन संशोधनों के संबंध में किसी कार्यवाही को समाप्त करने के लिये अध्यक्ष को प्रस्तावित होने वाले संशोधनों को चुनने की शक्ति प्राप्त होगी।]' "

[श्रीमती जी. दुर्गाबाई]

श्रीमान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम 38-दद को भी उपस्थित करना चाहती हूं। वह इस प्रकार है:

"38-RR.(1) When the amendments to the Constitution referred to the Drafting Committee under sub-rule (1) of rule 38-R have been considered, any member may move that the Constitution as settled by the Assembly be passed, and to a motion so made no further amendment shall be allowed to be moved.

Passing of the Constitution.

(2) The President may fix a time-limit for speeches during the debate on a motion made under sub-rule (1).

(3) The President may in relation to any proceedings in connection with the passing of the Constitution under rule 38-R or this rule relax or suspend any of these rules.

['38-दद (1) जब नियम 38-द के उपनियम (1) के अधीन मसौदा-समिति को भेजे हुए संविधान-संबंधी संशोधनों पर विचार हो गया हो तब कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है कि सभा ने संविधान को जिस रूप में निश्चित किया है उस रूप में वह पारित किया जाये और इस प्रकार उपस्थित किए हुए प्रस्ताव के संबंध में अन्य किसी संशोधन को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

संविधान का पारण

(2) अध्यक्ष उपनियम (1) के अधीन उपस्थित किए हुए प्रस्ताव पर होने वाले वाद-विवाद में भाषणों के लिये काल-सीमा निश्चित कर सकता है।

(3) अध्यक्ष नियम 38-द अथवा इस नियम के अधीन संविधान के पारण से संबंधित किसी कार्यवाही के बारे में इन नियमों में से किसी को विस्तृत या निलम्बित कर सकता है।]' "

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह विदित है कि अब हमने सौभाग्य से संविधान के मसौदे का द्वितीय पठन समाप्त कर दिया है। अब हमें तुरन्त ही संविधान के मसौदे का तृतीय पठन आरम्भ करना है और संभवत: हम उसे अगले महीने आरम्भ करें। इसलिये संविधान के मसौदे के तृतीय पठन की तथा संविधान को पारित करने की प्रक्रिया निश्चित करने की आवश्यकता है।

श्रीमान, मुझे आशा है कि यह सदस्यों के ध्यान में आ गया होगा कि इन नियमों की एक विशेषता यह है कि इन नियमों में जिस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है उसके अधीन मसौदा-समिति तृतीय पठन के अवसर पर मसौदे में आनुषंगिक

अथवा अन्य आवश्यक संशोधन कर सकेगी। इन नियमों की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके अधीन सदस्य तृतीय पठन के अवसर पर मसौदा-समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर केवल रस्मी अथवा आनुषंगिक संशोधन कर सकेंगे। श्रीमान, इनके द्वारा अध्यक्ष को स्वविवेक से किसी भी संशोधन के लिए आज्ञा देने तथा भाषणों के लिये समय निश्चित करने की शक्ति तथा इस प्रकार की अन्य शक्तियां भी दी गई हैं।

श्रीमान, इस सभा के माननीय सदस्यों ने इस संबंध में जिन संशोधनों की सूचना दी है उनमें से पन्द्रह-बीस को मैंने देखा है। श्रीमान, इनमें से कुछ संशोधनों के संबंध में मैं उस समय बोलूंगी जब वे उपस्थित किये जायेंगे किन्तु उनमें से कुछ संशोधनों का उद्देश्य उस खंड को निकालना है जिसके अधीन अध्यक्ष भाषणों के लिये समय निश्चित कर सकेगा, अथवा उनका उद्देश्य यह है कि दो दिन पहले सूचना देने का नियम हटा दिया जाये और उसके स्थान पर सात दिन अथवा पांच दिन पहले सूचना देने का नियम रखा जाये।

श्रीमान, यह हम सबको को विदित है कि इस संविधान को बनाने में हमने पूरे दो वर्ष और दस महीने लगा दिये हैं। हम सभी जानते हैं कि इसका भारत के वित्तीय साधनों पर बहुत भार पड़ा है और इसलिये हमें लम्बे भाषण देकर, अथवा संविधान को पारित करने में ढील देकर, समय नष्ट नहीं करना चाहिये। संविधान को शीघ्र पारित करने के उद्देश्य से इन नियमों द्वारा राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी गई हैं।

इसलिये श्रीमान, मैं माननीय सदस्यों से अपील करती हूं कि वे अपने संशोधनों को वापस ले लें अथवा उन पर मत लिये जाने पर जोर न दें और संविधान को आसानी से पारित होने दें। इन शब्दों के साथ मैं सभा से सिफारिश करती हूं कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये। श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करती हूं।

***अध्यक्ष:** इस संबंध में कई संशोधन हैं। मि. नज़ीरुद्दीन अहमद।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, इन नियमों के संबंध में दुर्भाग्य से मुझे कुछ संशोधन उपस्थित करने हैं। मैंने अपने संशोधनों की संख्या कम करने का बहुत प्रयास किया किन्तु मैं असफल रहा। श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"प्रस्तावित नवीन नियम 38-द और 38-दद में 'Constitution' (संविधान) शब्द जहां कहीं आया है उसके स्थान पर 'Draft Constitution' (संविधान का मसौदा) शब्द रखे जायें।"

यह एक रस्मी संशोधन है। मैं यह प्रस्ताव भी उपस्थित करता हूं कि:

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (1) में—(1) 'considered'—(विचार हो गया हो) शब्दों के स्थान पर 'considered and disposed of' (विचार हो गया हो और निबटा दिये गये हों) शब्द रखे जायें;

(2) 'amended' (संशोधित रूप में) शब्दों के स्थान पर 'amended by the Assembly' (सभा द्वारा संशोधित रूप में) शब्द रखे जायें;

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

(3) 'clauses' (खंडों) शब्द के स्थान पर 'articles, clauses and sub-clauses' (अनुच्छेदों, खंडों और उपखंडों) शब्द रखे जायें; और

(4) 'to recommend' (सिफारिश की जाये) शब्दों के स्थान पर 'to submit a report recommending' (सिफारिश करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये) शब्द रखे जायें।"

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (1) के पश्चात् यह नवीन उपनियम प्रविष्ट किया जाये:—

'(1a) The Draft Constitution as revised by the Drafting Committee under sub-rule (1) shall indicate by suitable typographical arrangements the changes and omissions made by the Committee.'

[(1क) उपनियम (1) के अधीन मसौदा-समिति ने संविधान के मसौदे को दुहरा कर जिस रूप में रखा हो उसमें समिति ने जो परिवर्तन किये हों, अथवा उससे जो शब्द निकाले हों वे उपयुक्त छपाई द्वारा दिखाये जायेंगे।]"

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (2) में 'After the Constitution has been referred to the Drafting Committee the report of the Committee' (संविधान को मसौदा-समिति के पास भेजने के पश्चात् समिति के प्रतिवेदन को) शब्दों के स्थान पर 'the report of the Drafting Committee' (मसौदा-समिति के प्रतिवेदन को) शब्दों को रखा जाये।"

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (2) में 'in the Constitution' (इन दी कांस्टीट्यूशन) शब्दों के स्थान पर 'to the Constitution' (टू दी कांस्टीट्यूशन) शब्द रखे जायें।"

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (2) के परन्तुक में 'three clear days' (पूरे तीन दिन) शब्दों के स्थान पर 'seven clear days' (पूरे सात दिन)' शब्द रखे जायें।"

श्रीमान, मैं अपने संशोधनों का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं निवेदन कर चुका हूं कि पहला संशोधन केवल रस्मी संशोधन है। मेरे विचार से मसौदे की शुद्धि की दृष्टि से उसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

अन्य संशोधनों के संबंध में कठिनाई यह है कि अधिकारियों के संशोधन हमें कल दिये गये और हमें अपने संशोधन दफ्तर में कल पांच बजे के पहले देने

पड़े। वे छाप कर आज प्रातः ही सदस्यों को दिये गये। इसलिये, मेरे विचार से, मसौदा-समिति के सदस्यों को, अथवा इन नियमों को प्रस्ताविका महोदया को, इन संशोधनों को पढ़ने और इनके उद्देश्य को समझने का समय नहीं मिला। मैं अपने संशोधनों की कुछ बातों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करूंगा।

संशोधन संख्या 2 के पहले भाग का उद्देश्य यह है "विचार हो गया हो" शब्दों के पश्चात् "निबटा दिये गये हों" शब्द रखे जायें। यदि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो यह खंड इस प्रकार हो जायेगा:–

".....संविधान-संबंधी जो संशोधन उपस्थित किये गये हों उन पर विचार हो गया हो और निबटा दिये गये हों।"

वास्तव में उपनियम (1) उस स्थिति के संबंध में है जब द्वितीय पठन के अवसर पर संशोधनों पर न केवल विचार हो गया हो बल्कि वे निबटा भी दिये गये हों। उन्हें निबटाने के पश्चात् ही संविधान का मसौदा मसौदा-समिति के पास भेजा जायेगा। इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता है।

मेरे अगले संशोधन का उद्देश्य यह है कि "संशोधित रूप में" शब्दों के स्थान पर "सभा द्वारा संशोधित रूप में" शब्द रखे जायें। संशोधन दो प्रकार के होंगे और इसलिये भ्रम होने की संभावना है। सभा जिन संशोधनों को करेगी और मसौदा-समिति जिन संशोधनों का सुझाव रखेगी उनमें विभेद करने की आवश्यकता है। इन शब्दों को प्रविष्ट करने का उद्देश्य वही है। इन्हें रखने से खंड इस प्रकार हो जायेगा–

".....संविधान को सभा द्वारा संशोधित रूप में"

और सभा द्वारा किये हुए संशोधनों में तथा मसौदा-समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों में विभेद हो जायेगा।

कुछ समय पश्चात् हम मसौदा-समिति को "खंडों" की पुनर्गणना करने का अधिकार देने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यद्यपि पुराने नियम में "खंड" शब्द आया है किन्तु वह इस संविधान के प्रसंग में उपयुक्त नहीं होगा। हम इसके अनुच्छेदों को अनुच्छेद ही कहते आये हैं और खंड नहीं कहते आये हैं। अभी तक "खंडों" का अभिप्राय अनुच्छेदों के खंडों से रहा है। किन्तु यहां "खंड" शब्द के प्रत्यक्षतः "अनुच्छेद" अभिप्रेत है। इसी कारण मैंने यह संशोधन रखा है ताकि इस नियम की शब्दावली इस प्रकार हो जाये:

".....अनुच्छेदों, खंडों और उपखंडों की पुनर्गणना की जाये।"

यह अधिक व्याकरण-संगत तथा विधि-संगत होगा।

मेरे अगले संशोधन, अर्थात् दूसरे संशोधन के चौथे भाग का उद्देश्य यह है कि "सिफारिश की जाये" शब्दों के स्थान पर "सिफारिश करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये" शब्द रखे जायें। इस संशोधन की बहुत आवश्यकता है क्योंकि उपनियम (2) में हमने दो स्थानों पर "प्रतिवेदन" शब्द प्रयोग किया है। मसौदा-समिति का

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

यह प्रतिवेदन अन्तिम प्रतिवेदन होगा किन्तु उपनियम (1) में हमने प्रतिवेदन को उपस्थित करने के संबंध में कोई उपबन्ध नहीं रखा है। हमने केवल यह कहा है कि:

".....ऐसे रस्मी तथा आनुषंगिक अथवा अन्य संशोधनों की सिफारिश की जाये जिनकी आवश्यकता हो।"

मैं चाहता हूं कि इसकी शब्दावली इस प्रकार हो:

".....ऐसे रस्मी तथा आनुषंगिक अथवा अन्य संशोधनों की, जिनकी आवश्यकता हो, सिफारिश करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये।"

वास्तव में उपनियम (2) में दो स्थानों पर प्रयुक्त शब्दों का आशय स्पष्ट करने के लिये इस स्थान पर भी "प्रतिवेदन" शब्द प्रस्तुत होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त श्रीमान, मेरे अगले संशोधन का उद्देश्य है कि एक और उपनियम, अर्थात् उपनियम 1 (क) प्रविष्ट किया जाय जिसकी शब्दावली इस प्रकार हो:–

"उपनियम (1) के अधीन मसौदा-समिति ने संविधा के मसौदे को दुहरा कर जिस रूप में रखा हो उसमें समिति ने जो परिवर्तन किये हों, अथवा उससे जो शब्द निकाले हों, वे उपयुक्त छपाई द्वारा दिखाये जायेंगे।"

इसकी बहुत आवश्यकता दिखाई देती है। हमें आखिर मसौदा-समिति के दुहराये हुए संविधान के मसौदे पर विचार करना होगा और अपने संशोधनों का सुझाव रखना होगा। इसका निर्णय करने के लिये कि किन संशोधनों की आवश्यकता होगी हमें यह जानना होगा कि वास्तव में मसौदा-समिति ने किन संशोधनों को प्रस्तावित किया है। हमें विदित है कि मसौदा-समिति सभा में किस ढंग से काम करती रही है। संविधान के मसौदे में अपने संशोधनों को न दिखाकर वह अनुच्छेदों को नये सिरे से लिखकर हमारे सामने रखती रही है और सदस्यों को यह समझने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है कि वास्तव में कौन से परिवर्तन किये गये हैं। इससे सदस्यों को संविधान के मसौदे के अनुच्छेदों की प्रस्तावित अनुच्छेदों से बहुत सावधानी से तुलना करनी होती है और अकारण परिश्रम करना होता है। इसलिये, मेरे विचार से मसौदा-समिति ने संविधान को जो अन्तिम मसौदा तैयार किया हो उसमें जो परिवर्तन किये गये हों उन्हें दिखाया जाये ताकि सदस्यों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो सके और यदि आवश्यकता हुई तो वे उनके संबंध में आनुषंगिक अथवा रस्मी संशोधनों का सुझाव रख सकें। इससे उनका काम सरल हो जायेगा। इसका प्रबन्ध बहुत आसानी से किया जा सकता है, अर्थात् जो कोई परिवर्तन किये जायें उन्हें टेढ़े अक्षरों में छापा जाये अथवा उनके नीचे रेखा खींच दी जाय। हाशिये पर रेखा खींचने से लाभ नहीं होगा। यदि कुछ शब्द निकाले जायें तो वहां पर सितारा लगाया जा सकता है। ये बातें बहुत आसानी से की जा सकती हैं और इनके कारण सदस्यों के लिये बहुत सुविधा हो जायेगी क्योंकि वे यह देख सकते हैं कि कौन से परिवर्तन किये गये हैं और तदन्तर अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

खंड (2) के संबंध में मेरा निवेदन है कि उसके आरम्भ के शब्द बिल्कुल अनावश्यक हैं और उनके कारण एक हद तक भ्रम भी होता है। उसमें कहा गया है:

"संविधान को मसौदा-समिति के पास भेजने के पश्चात् समिति के प्रतिवेदन को... सभा में उपस्थित करेगा।"

इसमें एक महत्वपूर्ण कदम का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान को मसौदा-समिति को भेजने के पश्चात् मसौदा-समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। इसलिये हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि मसौदा-समिति का प्रतिवेदन मिलने के पश्चात् वह सभा में उपस्थित किया जायेगा। इस कारण मैंने यह सुझाव रखा है कि इन प्रारम्भिक शब्दों को निकाल दिया जाये। इसे स्वीकार करने पर उपनियम (2) इस प्रकार हो जायेगा: "मसौदा-समिति के प्रतिवेदन को.... सभा में उपस्थित करेगा।" अपने संशोधन संख्या 2 के भाग (4) में मैं यह सुझाव रख चुका हूं कि "प्रतिवेदन" शब्द समाविष्ट किया जाये।

अब श्रीमान, मैं परन्तुक को उठाता हूं। मुझे इस संबंध में एक बहुत बड़ी शिकायत है और वह यह है कि इस परन्तुक में यह उपबन्धित करने का प्रयास किया गया है कि मसौदा-समिति के दुहराये हुए संविधान के मसौदे को उस पर विचार करने के दिन से पूरे तीन दिन पहले सदस्यों के पास भेजा जायेगा। श्रीमान, इतने थोड़े समय में किसी भी माननीय सदस्य के लिये संविधान के दुहराये हुए मसौदे को पढ़ना तथा उसके संबंध में संशोधन प्रस्तुत करना बहुत कुछ असंभव ही होगा। श्रीमान, आप कृपा करके देखें कि सदस्यों को संविधान के मसौदे पर विचार करने के लिये केवल तीन दिन दिये गये हैं जबकि उपनियम (5) में यह उपबन्धित है कि हमें अपने संशोधनों की सूचना पूरे दो दिन पहले दे देनी चाहिये।

यदि हम संविधान पर 14 नवम्बर से विचार करना आरम्भ करेंगे तो हमें संविधान का मसौदा 10 नवम्बर को अर्थात् पूरे तीन दिन पहले मिलेगा और हमें अपने संशोधन 11 नवम्बर को अर्थात् पूरे दो दिन पहले भेज देने होंगे। इसलिये यह स्पष्ट है कि हमें प्रतिवेदन को पढ़ने, संशोधनों को तैयार करने और उन्हें सूचनालय को भेजने के लिये केवल एक दिन मिलेगा इससे बहुत सी अनर्गल बातें पैदा हो जायेंगी। मेरा निवेदन है कि इस नियम को इस रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप कृपया विचार करें कि 14 तारीख को सभा में उपस्थित होने के लिए हमें 10 नवम्बर को अपने-अपने स्थानों से रवाना होना होगा और प्रस्ताव यह है कि 10 नवम्बर को मसौदा-समिति के दुहराये हुए संविधान के मसौदे को सदस्यों के पास भेजा जायेगा। 10 नवम्बर को हम सड़क से, रेल से या आकाश से नई दिल्ली की यात्रा पर होंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि 10 नवम्बर को संविधान के दुहराये हुए मसौदे की प्रतियां हमारे पास कैसे पहुंचेंगी। यदि वे हमारे घरों के पते से भेजी गईं तो उस समय तक हम अपने घरों से रवाना हो चुकेंगे और जब हम दिल्ली के मार्ग पर होंगे तो संविधान की प्रतियां हमारे घर के मार्ग पर होंगी। यदि वे 10 या 11 तारीख को हमारे दिल्ली के पते से भेजी गईं तो हमें संशोधनों को तैयार करने के लिये समय नहीं मिलेगा और न हम कार्यालय के विचारार्थ उन्हें दो दिन पूर्व सूचनालय ही को भेज सकेंगे।

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

यद्यपि मुझे मसौदा-समिति से इस कारण सहानुभूति है कि उसे अत्यधिक कार्य करना पड़ा है किन्तु साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सभा में कई लोगों की यह धारणा है कि वह समय-सारिणी का बिल्कुल भी अनुसरण नहीं कर पाई है। मसौदा-समिति का इरादा बार-बार बदलने के कारण ही उसके लिये अत्यधिक कार्य रहा है यद्यपि संभव है अन्य कारणों से भी देर हो गई हो किन्तु मेरा निवेदन है कि इस स्थिति का कुफल भोगने के लिये सदस्यों को विवश नहीं करना चाहिये। श्रीमान, मैं सभा से, तथा विशेषतया आपसे, पूछता हूं कि 10 तारीख को अन्तिम मसौदे की प्रति मिलने पर कोई भी सदस्य अपने संशोधनों को 11 तारीख को कैसे भेज सकेगा? इसलिये मेरा यह सुझाव है कि दुहराये हुए संविधान का अध्ययन करने के लिये, तथा अपने संशोधनों को भेजने के लिए, हमें सात दिन का समय दिया जाना चाहिये। क्या मैं यह सुझाव भी रख सकता हूं कि संविधान के अन्तिम मसौदे की प्रति के कारण हमें प्रत्येक अनुच्छेद के संबंध में प्रस्तुत किये हुए संशोधनों की एक तुलनात्मक सूची भी दी जाये ताकि हम संशोधनों का अध्ययन कर सकें और उन पर विचार करने के लिये तैयारी कर सकें।

मेरा यह सुझाव भी है कि संविधान के मसौदे को छपने के लिये भेजने के पूर्व उसकी साइक्लोस्टाइल की हुई प्रतियां तैयार की जायें और उन्हें उन सभी सदस्यों के पास भेजा जाये जो उन्हें देना चाहें। मुझे विश्वास है कि उनमें अधिक से अधिक छः सदस्यों की दिलचस्पी होगी। किन्त मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि यह सुविधा केवल इन थोड़े से सदस्यों को ही प्रदान की जाय। साइक्लोस्टाइल की हुई प्रतियां उन सभी सदस्यों के पास भेजी जाये तो उनके लिये कहें। यदि यह सब किया गया तो मेरे विचार से हम यथासमय कार्य समाप्त कर सकते हैं। अन्यथा सदस्यों के लिये तैयारी करना तथा समय पर संशोधनों को भेजना बहुत कठिन हो जायेगा। वास्तव में मुझे तो यह दिखाई देता है कि यह सब कार्य समय पर समाप्त करना बहुत कुछ असंभव ही है। मुख्य प्रश्न यह है कि संविधान का अन्तिम मसौदा सदस्यों के पास किस स्थान पर और किस समय भेजा जाये ताकि उन्हें भी अपना योग देने के लिये समय मिले। मेरा निवेदन है कि इन नियमों को स्वीकार करने के पूर्व इन बातों पर विचार किया जाये।

मसौदा-समिति ने सदस्यों के लिये एक कठिनाई और खड़ी की है और वह यह है कि इन कठिन नियमों को उपस्थित करने के लिये उसने एक महिला सदस्य को चुना है।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): श्रीमान, इसका इस विषय से क्या संबंध है?

***अध्यक्ष:** उन्हें चुना नहीं गया। उन्होंने इन नियमों को उपस्थित करने की इच्छा स्वयं प्रकट की।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** कठिनाई यह है कि हम उनके साथ सख्ती नहीं कर सकते। आखिर किसी महिला सदस्य से व्यवहार करने में कुछ शिष्टता का परिचय देना ही पड़ता है। तथ्य यह है कि मसौदा-समिति ने अपने पक्ष के प्रतिपादन के लिए एक महिला को आगे बढ़ाया है।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** माननीय सदस्य महोदय को मैं बताना चाहती हूं कि मैंने इस प्रस्ताव को अपनी इच्छा से उपस्थित किया है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** माननीय प्रस्ताविका से मैं इस संबंध में विवाद नहीं करना चाहता। ये संशोधन मसौदा-समिति की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं। मसौदा-समिति ने साम्यवादियों की प्रणाली अपनाई है जो महिलाओं को आगे करके लड़ते हैं ताकि दूसरे पक्ष के लिये उन पर प्रहार करना असंभव हो जाये।

***श्री एच.वी. कामत:** अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी माननीय मित्र श्रीमती दुर्गाबाई के इस विचार से सहमत हूं कि संविधान को शीघ्र पारित किया जाये। किन्तु मैं उनके एक विचार से असहमत हूं। उन्होंने कहा कि संविधान के निर्माण से देश को बहुत वित्तीय भार उठाना पड़ा। मैं यह जानता हूं कि हमने कुछ धन व्यय किया है। सभा को स्मरण होगा कि विधान-सभा ने 1946 में अथवा 1947 के आरभ में संविधान सभा के लिये अपने आयव्यक में एक करोड़ रुपया अलग रखा। पिछले सत्र में किसी समय इस सभा में या बाहर यह कहा गया था कि दो करोड़ से अधिक रुपया व्यय किया जा चुका है। जब मैंने यह सुना तो मैंने स्वयं हिसाब लगाया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि केवल साठ सत्तर लाख के लगभग खर्च हुआ है। मैं केवल इस सभा के संविधान निर्माण के कार्य के बारे में यह कह रहा हूं और इस सभा के विधाई कार्य के संबंध में कुछ नहीं कह रहा हूं। यदि आप विधानसभा के सत्रों को भी अपने हिसाब में सम्मिलित करें तो संभवत: व्यय की हुई राशि अधिक निकलेगी। किन्तु आयव्ययक में संविधान-निर्माण के लिये जो राशि रखी गई थी उसमें यह राशि सम्मिलित नहीं है। यदि बहुत बड़ी राशि भी व्यय हुई है तो मेरे विचार से इसके लिये इस सभा के सदस्यों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

सभा को स्मरण होगा कि जनवरी 1947 से लेकर अक्तूबर 1948 तक सभा को दो वर्षों में अधिक से अधिक 35 या 40 दिन के लिये समवेत् हुई। कोई न कोई कारण ऐसा आ गया कि मसौदा-समिति सामग्री तैयार नहीं कर सकी और 22 महीनों में हम केवल 40 दिन सम्मिलित हो सके। यदि हम अधिक समय तक कार्य करते और शीघ्र सत्र करते तो हम संविधान को बहुत पहले पारित कर दिये होते। आज भी संविधान को बिना समझे बूझे बहसों को कम करके पारित नहीं करना चाहिये। यदि उन्हें कम करना पड़े तो तर्कपूर्ण ढंग से कम करना चाहिये। इस उद्देश्य को आवश्यकतानुसार अधिक समय तक काम करने से पूरा करना चाहिये। हमने इसका अनुभव बहुत देर में किया है। यदि 1947 में अथवा 1948 में हम अधिक समय तक काम किये होते तो अभी तक हम इस संविधान को पारित कर चुके होते। मैं सदा रात्रि की बैठकों के पक्ष में रहा हूं। यदि हम प्रात: मध्याह्न तथा रात्रि को कार्य करें तो मुझे विश्वास है कि हम लगभग एक सप्ताह में अपना कार्य समाप्त कर सकते हैं। अब जब हम संविधान को समाप्त करने को हैं और जब तृतीय पठन आरम्भ करने में केवल कुछ दिनों ही की देर है, इस प्रकार के सुझाव से कोई लाभ नहीं होगा। मैं अपनी माननीय मित्र श्रीमती दुर्गाबाई को बताना चाहता हूं कि उन्होंने यह एक गलत बात कही है कि यह सभा देश का बहुत धन व्यय करने के लिये उत्तरदायी है। इसका दोष इस सभा पर नहीं है।

[श्री एच.वी. कामत]

कई परिस्थितियों के कारण तथा अन्य कारणों से भी यह धन व्यय हो गया। मेरे विचार से यह कोई बड़ी धन-राशि नहीं है। संविधान निर्माण के लिये आयव्ययक में जो राशि अलग रखी गई थी उससे अधिक धन हमने व्यय नहीं किया है।

श्रीमान, अब मैं अपने संशोधनों को उठाता हूं। श्रीमान, मेरे नाम से छः संशोधन हैं। श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (4) में 'which is either formal or consequential upon' (किसी रस्मी संशोधन को अथवा किसी ऐसे संशोधन के आनुषंगिक संशोधन को) शब्दों के स्थान पर 'to' (किसी ऐसे संशोधन के संशोधन को) शब्द रखे जायें।"

यदि इस संशोधन को सभा स्वीकार कर लेगी तो यह उपनियम इस प्रकार हो जायेगा:

"उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात्, कोई भी सदस्य किसी ऐसे संशोधन के संशोधन को उपस्थित कर सकता है जिसकी मसौदा-समिति ने उसके पास उपनियम (1) के अधीन संविधान भेजे जाने पर किसी उपबन्ध के संबंध में सिफारिश की हो, किन्तु उसे किसी अन्य संशोधन को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।"

यह संशोधन इस कारण उपस्थित किया गया है: श्रीमती दुर्गाबाई ने सभा के समक्ष जो योजना रखी है उसके अनुसार द्वितीय पठन के पश्चात् संविधान पर मसौदा-समिति विचार करेगी और जब कभी तृतीय पठन होगा तब उसे सभा में उपस्थित करेगी। मेरे विचार से तृतीय पठन आरम्भ करने से तीन दिन पूर्व संविधान का मसौदा सदस्यों के पास भेज दिया जायेगा। मैं इसे बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि मसौदा-समिति में बुद्धिमान लोग हैं जो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं और वास्तव में बहुत ज्ञानवान विशेषज्ञ हैं, किन्तु मुझे विश्वास है कि सभी मेरे इस विचार से सहमत होगी कि यह बात नहीं है कि वे गलती कर ही नहीं सकते। समय के अभाव के कारण, अथवा अत्यधिक कार्य होने के कारण, वे भी कुछ बातों की, अथवा संविधान के कुछ अनुच्छेदों की, या खंडों की, उपेक्षा कर सकते हैं। इसलिये जो बातें रह गई हों उन्हें रखने की ओर जो दोष रह गये हों उन्हें दूर करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि संविधान के किसी अध्याय अथवा उप-अध्याय पर ध्यान देने के पश्चात् कुछ सदस्यों को यह दिखाई दे कि उसमें कुछ दोष अथवा कमी रह गई है, अथवा कोई बात छूट गई है, तो क्या यह उचित नहीं है कि उन्हें सभा में किसी संशोधन को प्रस्तुत करने, अथवा किसी संशोधन में रूप-भेद करने का अवसर दिया जाये?

मेरे माननीय मित्र श्रीमती दुर्गाबाई यह तर्क उपस्थित कर सकती हैं कि मसौदा-समिति के संशोधनों को सभा में तृतीय पठन के लिये उपस्थित करने के पूर्व सदस्य मसौदा-समिति के सम्पर्क में आ सकते हैं किन्तु यह भी हो सकता है कि वे पहले ही दिन यहां पहुंचे, अथवा जिस दिन संविधान का तृतीय पठन आरम्भ किया जाये उस दिन प्रातः ही यहां पहुंचे और उन्हें मसौदा-समिति के सम्पर्क में आने के लिए और उसके सामने अपना दृष्टिकोण रखने के लिये समय ही नहीं मिले। अपना मत लिखकर डाक द्वारा द्वारा भेजने का कोई अर्थ नहीं होगा

क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति मसौदा-समिति से स्वयं विचार-विमर्श नहीं करेगा तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि लिखने से उसका दृष्टिकोण स्पष्ट हो जायेगा। यदि सदस्य उसके सम्पर्क में नहीं आ सके तो क्या उनकी बात सुनी ही नहीं जायेगी? इसी कारण श्रीमान, मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है ताकि उन सदस्यों को, जिन्हें संविधान को सावधानी से पढ़ने के पश्चात् यह दिखाई दिया हो कि उसके किसी भाग में त्रुटियां हैं, अथवा कुछ बातें रह गई हैं, सभा में अपने संशोधन उपस्थित करने का अवसर मिले। श्रीमान, आप किसी भ्रामक अथवा अनावश्यक संशोधन को अनियमित घोषित कर ही सकते हैं और सभा को आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास है। यदि कोई सदस्य कोई ऐसा संशोधन उपस्थित करे जो अनावश्यक, अथवा अप्रासंगिक, अथवा भ्रामक अथवा अनर्गल हो तो, सभा को यह विदित है, उसके प्रस्ताव को आपका निर्णय शिरोधार्य होगा। आपके अधिकारों, विशेषाधिकारों और शक्तियों में हस्तक्षेप करने का कोई अर्थ नहीं होगा। आप श्रीमान, स्वविवेक से किसी भी संशोधन को अनियमित घोषित कर सकते हैं। इसलिये नियम 38-द के इस उपनियम (4) की कोई आवश्यकता नहीं है।

मेरा अगला संशोधन इस सूची का आठवां संशोधन है। मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

> "प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (6) में से 'and it shall not be necessary for the President to put each of those amendments separately to vote' (और अध्यक्ष के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह उन संशोधनों में से प्रत्येक संशोधन पर पृथक् मत ले) शब्द निकाल दिये जायें।"

मैंने अभी जो संशोधन किया था उसके फलस्वरूप ही यह संशोधन उत्पन्न होता है। श्रीमती दुर्गाबाई ने जो उपनियम उपस्थित किया है उसमें यह उपबन्धित है कि मसौदा-समिति द्वारा उपस्थित संशोधनों पर मत लेने के लिये उन्हें सभा के सामने एक साथ रखा जा सकता है। श्रीमान मैं अपने पहले संशोधन के संबंध में निवेदन कर चुका हूं कि सदस्यों को संशोधन उपस्थित करने का अधिकार दिया गया है और उन्हें दृष्टि में रखकर सभा यह निर्णय करती है कि मसौदा-समिति ने जिस संशोधन की सिफारिश की है उसमें रूप-भेद किया जा सकता है या नहीं। एक साथ उन पर मत लेने से कठिनाई उठ खड़ी होगी। यदि उन संशोधनों को सभा ने संशोधित नहीं किया हो तो उन पर एक साथ मत लिया जा सकता है। किन्तु यदि कुछ संशोधनों में सभा ने रूप-भेद कर लिया हो तो उन पर पृथक् मत लेने के अतिरिक्त और चारा ही क्या है? यह संभव है कि माननीय सदस्यों ने जिन संशोधनों को उपस्थित किया हो उनके द्वारा कुछ संशोधनों में रूप-भेद हो गया हो और सभा ने उन्हें उस रूप में स्वीकार किया हो।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** क्या मैं अपने माननीय मित्र को यह प्रक्रिया समझा सकता हूं? वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जिसका सभा प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर विचार करते समय अनुसरण करती है। प्रवर समिति के प्रतिवेदन के भाग नहीं किये जाते और उसे एक पूर्ण प्रतिवेदन समझा जाता है। यदि सदस्य कोई संशोधन उपस्थित करते हैं और वह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो वह संशोधन समाविष्ट कर लिया जाता है। अन्यथा प्रवर समिति का प्रतिवेदन उसी प्रकार रहता है। यहां भी उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है।

***श्री एच.वी. कामतः** मेरे विचार से इस उपनियम में इस आकस्मिक स्थिति के संबंध में उपबन्ध नहीं है। यदि मैं इस उपनियम को ठीक समझ पाया हूं तो, मेरे विचार से, इसमें उस स्थिति के संबंध में उपबन्ध नहीं हैं जब माननीय सदस्यों के संशोधनों को स्वीकार कर ले और इसके परिणामस्वरूप मसौदा-समिति के संशोधनों में रूप-भेद हो जाये। उप-नियम (6) में यह कहा गया है कि मसौदा-समिति ने जिन संशोधनों की सिफारिश की हो वे सब उपस्थित किये गये समझे जायेंगे और अध्यक्ष के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह उन संशोधनों में से प्रत्येक संशोधन पर पृथक् मत ले। मैं कह नहीं सकता कि जब मैंने अपना पहला संशोधन उपस्थित किया था और सभा के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखा था तो उस समय मेरे माननीय मित्र यहां उपस्थित थे या नहीं। मैंने उसके द्वारा यह सुझाव प्रस्तुत किया था कि मसौदा-समिति की सिफारिशों पर किस प्रकार के भी संशोधनों को उपस्थित करने की आवश्यकता हो, चाहे वे आनुषंगिक हों या रस्मी हों या अन्य प्रकार आवश्यक हों, उन्हें उपस्थित करने का अधिकार प्रत्येक सदस्य को दिया जाना चाहिये। यदि मसौदा-समिति के संशोधनों में, माननीय सदस्यों के संशोधनों के स्वीकृत होने के फलस्वरूप रूप-भेद हो गया हो तो मसौदा-समिति के संशोधनों पर एक साथ मत नहीं लिया जा सकता। उन संशोधनों के समूहों को उठाना होगा और जिन संशोधनों में रूप-भेद हो जायेगा उन पर पृथक् मत लेना होगा। संशोधन संख्या 8 का उद्देश्य यही है।

मेरा संशोधन संख्या 9 इस प्रकार है:

> "प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (8) में से 'shall allot not more than two days for the consideration by the Assembly of all amendments after the motion referred to in sub-rule (2) has been carried and' [उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात्, सभी संशोधनों पर सभा के विचार करने के लिये दो दिन से अधिक नहीं देगा और] शब्द निकाल दिये जायें।"

यदि सभा इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी तो यह उपनियम इस प्रकार हो जायेगा:

> "अध्यक्ष, दिये हुए दिनों में से अन्तिम दिन को सभा की बैठक समाप्त करने के लिये उसने जो समय निश्चित किया हो उस समय, इत्यादि।"

श्रीमान, मुझे यह आशंका है, अथवा में यह कहूंगा कि यह मेरी धारणा है कि इस उप-नियम के पहले भाग से आपकी शक्तियों में अनुचित हस्तक्षेप होता है। मैं कह चुका हूं कि मैं सच्चे हृदय से इसके पक्ष में हूं कि अनावश्यक बहस तथा वाद-विवाद न हो और संविधान को शीघ्र पारित किया जाये। किन्तु क्या श्रीमान, यह आपकी शक्तियों का प्रश्न नहीं है और क्या इस विषय के संबंध में सभा अथवा उसका कोई भाग उन शक्तियों को छीन सकता है? यह अविवाद है कि आपको किसी बहस के लिये काल-सीमा निश्चित करने का अधिकार है। तब इस नियम में यह उल्लेख क्यों किया जाता है कि अध्यक्ष दो दिन से अधिक समय नहीं देगा? इस स्थान पर यदि "देगा" शब्द के स्थान पर "दे सकता है" शब्द

प्रयोग किये जाते तो वह अधिक शिष्ट भाषा होगी। क्या इस सभा के कार्य के संचालन के संबंध में अध्यक्ष को उच्चतम शक्ति प्राप्त नहीं है? वे सभा के कार्य का संचालन जिस प्रकार भी चाहें कर सकते हैं। यह कह कर कि वे दो दिन से अधिक समय नहीं देंगे उनके हाथ क्यों बांधे जा रहे हैं? इस संबंध में उन्हें स्वविवेक से निर्णय करने दिया जाये। यदि वे इसकी आवश्यकता समझें तो वे अवश्य ही तीन-चार दिन से भी अधिक समय दे सकते हैं। श्रीमान आपको स्मरण होगा कि नवम्बर 1948 में संविधान के प्रथम पठन के अवसर पर, बीमार पड़ने के पहले आप आरम्भ में संविधान के प्रथम पठन के लिये, अर्थात् डॉ. अम्बेडकर के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये केवल दो दिन देना चाहते थे। बाद को आपने देखा कि सभा अधिक विचार करना चाहती है और इसलिये उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये आपने दो दिन और दे दिये। संभव है कि सभा के अधिकांश सदस्यों की यह इच्छा हो कि अधिक समय दिया जाये। श्रीमान, आपको जो शक्तियां दी गई हैं उनके द्वारा आप सभा के कार्य का नियमन करेंगे। इस नियम को आखिर रखा ही क्यों जा रहा है? इससे आपका निर्णय सीमित हो जायेगा। अथवा इससे अध्यक्ष में निहित शक्तियों का निराकरण हो जायेगा अथवा वे कम हो जायेंगी। यह मैंने तीसरे संशोधन के संबंध में कहा है। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में निर्णय करने की शक्ति अध्यक्ष को दी जाये कि संशोधनों पर विचार करने के लिये तथा उन्हें निबटाने के लिये कितना समय रखा जाये। इस संबंध में अध्यक्ष की शक्तियों को सीमित करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं अब संशोधन संख्या 10 को उठाता हूं जो इस प्रकार है:

"प्रस्तावित नवीन नियम 38-दद का उप-नियम (2) निकाल दिया जाये।"

यह उपनियम नियम 38-दद के उपनियम (1) के अधीन उपस्थित किये हुए प्रस्ताव पर होने वाले वाद-विवाद में भाषणों के लिये काल-सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में है। मैं श्रीमती दुर्गाबाई का तथा इस सभा का ध्यान इस सभा द्वारा स्वीकृत नियमों के 34वें नियम की ओर दिलाता हूं जो इस प्रकार है: "सभा की प्रक्रिया तथा उसके कार्यसंचालन के सम्बन्ध में सभी मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।" मैं पूछता हूं कि क्या हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह पर्याप्त नहीं है? क्या एक अन्य नियम को, अर्थात् उपनियम (2) को, बनाने की अथवा पारित करने की आवश्यकता है? इस सभा के नियमों के इस 34वें नियम द्वारा अध्यक्ष को सभा के कार्य का अपनी इच्छानुसार नियमन अथवा संचालन करने के लिये पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई है और उसमें यह उपबन्धित है कि इस सम्बन्ध में उसका निर्णय हमेशा अन्तिम निर्णय समझा जायेगा। नियमों में यह छोटी बात क्यों रखी जा रही है कि वह काल-सीमा निश्चित करेगा। यह शक्ति उसे स्वत: प्राप्त है। इस छोटी-सी बात को क्यों रखा जा रहा है? यह एक छोटी बात है। यह उनके कार्य-संचालन के ढंग में आ जाती है। श्रीमान, आपने कई अवसरों पर काल-सीमा निश्चिम की है और कार्य को शीघ्र समाप्त करने के लिये आप उसे फिर निश्चित करेंगे। इस उपनियम (2) की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार से मसौदा-समिति के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों की छोटी-छोटी बातें रखने की आदत के कारण सम्भवत: इसका यहां उल्लेख किया गया है। इस प्रकार के अनावश्यक विवरण से हमारे नियम तथा हमारा संविधान बोझल हो जायेगा। इसलिए, मेरे विचार से, इस उपनियम को निकाल देना चाहिये।

[श्री एच.वी. कामत]

अब मैं अपने संशोधन संख्या 11 को उठाता हूं। वह इस प्रकार है:

"प्रस्तावित नवीन नियम 38-दद का उपनियम (3) निकाल दिया जाये।"

इस संशोधन के दो अंग हैं। पहले अंग के सम्बन्ध में मैं बोल चुका हूं। मैं सभा का ध्यान इस उपनियम की ओर दिलाता हूं जो इस प्रकार है: "अध्यक्ष नियम 38-द अथवा इस नियम के अधीन संविधान के पारण से सम्बन्धित किसी कार्यवाही के बारे में इन नियमों में से किसी को विस्तृत या निलम्बित कर सकता है।" यह एक हास्यास्पद और बिल्कुल ही अनावश्यक नियम है। श्रीमान, मैं यह कह चुका हूं कि सभा के कार्य का संचालन करने की शक्ति आपको स्वत: प्राप्त है और आप इस विषय का भी नियमन कर सकते हैं।

इस संशोधन का दूसरा अंग यह है। हम कई विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध रखते हैं और अन्तिम उपबन्ध में एकाएक कहते हैं कि इन नियमों के होते हुए भी सभी कुछ हो सकता है। हमने नियम 38 तथा 38-दद में कई विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध रखे हैं और अन्त में हम यह कहते हैं कि अध्यक्ष इनमें से किसी नियम को विस्तृत या निलम्बित कर सकता है। जब यह कहा जाता है कि अध्यक्ष इन्हें विस्तृत कर सकता है तो इन नियमों को बनाया ही क्यों जाता है? क्या अध्यक्ष स्वविवेक से निर्णय नहीं कर सकता है? यह नियम बिल्कुल ही अनावश्यक है और इसे निकाल देना चाहिये।

मेरा संशोधन संख्या 12 अभी मैंने जिन संशोधनों को उपस्थित किया है उनका, अर्थात् संशोधन संख्या 10 और 11 का, आनुषंगिक संशोधन है। मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:—

"प्रस्तावित नवीन नियम 38-दद का उपनियम (1) नियम 38-द में उपनियम (10) के रूप में रखा जाये।"

नियम 38-दद का उपनियम (1) संविधान के तृतीय पठन के सम्बन्ध में है और उसमें यह उपबन्धित है कि कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है कि सभा ने संविधान को जिस रूप में निश्चित किया है उस रूप में वह पारित किया जाये और इस प्रकार उपस्थित किये हुए प्रस्ताव के सम्बन्ध में अन्य किसी संशोधन को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी। यह एक रस्मी उपबन्ध है और मेरे विचार से इसे नवीन नियम 38-दद में समाविष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नियम 38-द में जो उपबन्ध रखे गये हैं उनसे इसका आशय पूरा हो जाता है और इसकी आवश्यकता नहीं है कि इसे नियम 38-दद के एक उपबन्ध के रूप में पृथक् रूप से रखा जाये। ये सब नियम संविधान के अन्तिम पारण के सम्बन्ध में है। और इन विषयों के सम्बन्ध में नियमों की एक ही शृंखला पर्याप्त है। नियमों की दो शृंखलाओं की कोई आवश्यकता नहीं है।

अन्त में मैं केवल यह निवेदन करता हूं कि श्रीमती दुर्गाबाई के इस कथन से कोई भी असहमत नहीं हो सकता कि संविधान को शीघ्र पारित करना चाहिये। किन्तु यह एक गलत बात है कि विलम्ब के लिये इस सभा के सदस्यों को दोषी ठहराया जाये। इस सभा के सदस्य हमेशा इसके लिये इच्छुक रहे हैं कि इस संविधान को शीघ्र निबटा दिया जाये और बड़ी तत्परता से कार्य करते रहे हैं। सदस्यों ने संविधान पर अधिक काल तक वाद-विवाद जारी रखने पर कभी भी आपत्ति नहीं की। विलम्ब के लिये और चाहे कोई दोषी हो किन्तु इस सभा के सदस्य नहीं हैं। मैं यह नहीं बताना चाहता कि दोषी कौन हैं किन्तु यह कथन गलत है और अनुचित भी है कि इस सभा के सदस्य, चाहे वे कोई भी क्यों न हों, संविधान के पारण में विलम्ब करने तथा इस कारण हमारा बहुत धन व्यय करने के लिये दोषी हैं। इस संविधान को शीघ्र पारित करने के लिये हम अपनी पूरी योग्यता से सहयोग करते रहे हैं और जब थोड़े समय पश्चात् हमारा कार्य समाप्त हो जायेगा तो हमें प्रसन्नता होगी।

***अध्यक्ष:** सभी संशोधन उपस्थित किये जा चुके हैं।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्त प्रान्त : जनरल): मैंने एक संशोधन की सूचना दी है।

***अध्यक्ष:** मुझे कोई सूचना नहीं मिली है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** मैंने आज प्रात: सूचना दी थी।

श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"प्रस्तावित नवीन नियम 38-द के खण्ड (1) के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायें:

'But the President shall have power to allow any other amendments to be moved according to his discretion.' (परन्तु अध्यक्ष को किन्हीं अन्य संशोधनों को उपस्थित करने की आज्ञा स्वविवेक से देने की शक्ति प्राप्त होगी।)"

पहले नियम में हमने यह शब्द रखे हैं:

"जब यह प्रस्ताव कि संविधान पर विचार किया जाये पारित हो गया हो और संविधान-सम्बन्धी जो संशोधन उपस्थित किये गये हों उन पर विचार हो गया हो तब अध्यक्ष संविधान को, संशोधित रूप में, नियम 38-ठ के उपनियम (1) में निर्दिष्ट मसौदा-समिति के पास भेजेगा और आदेश देगा कि आवश्यकतानुसार खण्डों की पुनर्गणना की जाये, विरामों को फिर से लगाया जाये और हाशिये के लेखों को दुहराया जाये और पूरा किया जाये और संविधान सम्बन्धी ऐसे रस्मी अथवा आनुषंगिक अथवा अन्य संशोधनों की सिफारिश की जाये जिनकी आवश्यकता हो।"

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

श्रीमान, परिशिष्ट 1 में हमने कई ऐसी बातें रहने दी हैं जो उस समय तक बिल्कुल बदल जायेंगी जब हम तीसरे पठन के लिये यहां आयेंगे। सम्भव है कई प्रान्त मिल कर दो तीन प्रान्तों में ही परिणत हो जायें। मद्रास में सम्भव है केवल आंध्र और तामिलनाडु रहे और कर्नाटक के समान अन्य प्रान्तों का भी निर्माण हो जाये। यदि यह हुआ तो मसौदा-समिति को कुछ संशोधन उपस्थित करने पड़ेंगे। सदस्यों को भी इन संशोधनों पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिलना चाहिये। इसलिये यह आवश्यक है कि अध्यक्ष को अन्य संशोधनों को उपस्थित करने की आज्ञा स्वविवेक से देने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। श्रीमान, हमें इसका पूरा विश्वास है कि आप केवल उन संशोधनों को उपस्थित करने की आज्ञा देंगे जिनकी उन परिवर्तनों के कारण आवश्यकता होगी जो अब से लेकर अगले सत्र तक होंगे। इसलिये, मेरे विचार से, यह एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, क्योंकि यदि इसे स्वीकार नहीं किया गया तो उस समय तक प्रान्तों की सीमाओं में जो परिवर्तन होंगे उनके सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने की आज्ञा अध्यक्ष सदस्यों को नहीं दे सकेगा। इसलिये मुझे आशा है कि मेरी बहिन श्रीमती दुर्गाबाई मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगी और जो नये प्रान्त बनेंगे उनके सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने का अवसर सदस्यों को प्रदान करेंगी।

मेरा दूसरा संशोधन इस प्रकार है:

"नियम 38-द के उपनियम (2) के परन्तुक में 'three clear days' (पूरे तीन दिन) शब्दों के स्थान पर 'five clear days' (पूरे पांच दिन) शब्द रखे जायें।"

मेरे मित्र मि. नज़ीरुद्दीन अहमद ने सात दिन का सुझाव रखा है। तीन दिन रखना एक अजीब बात है। यह कहा गया है कि प्रत्येक संशोधन की सूचना कम से कम पूरे दो दिन पहले दी जानी चाहिये। यदि नवीन संविधान की प्रतियां हमें सत्र आरम्भ होने के केवल तीन दिन पहले मिलीं तो उन्हें पढ़ने तथा संशोधनों को भेजने के लिये हमें केवल एक दिन मिलेगा। हमारे लिये यह सब करना असम्भव हो जायेगा। हमें कम से कम तीन दिन मिलने चाहियें। अच्छा तो यह होता कि हमें सात दिन दिये जाते किन्तु मैं जानता हूं कि इतना समय देना कठिन हो जायेगा। इसलिये मैं सात दिन दिये जाने के लिये जोर नहीं देता किन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूं कि कम से कम पांच दिन जाने चाहियें।

श्रीमान, आपने बताया है कि संविधान का अन्तिम मसौदा इस महीने के अन्त तक छपने के लिये भेज दिया जायेगा और वह पांच या छः दिन में तैयार हो जायेगा जिससे पांच या छः नवम्बर तक छपी हुई प्रतियां उपलब्ध हो जायेंगी और फिर दो तीन दिन में वे सदस्यों के पास भेजी जा सकेंगी। यदि वे हमारे दिल्ली के पते से भेजी गईं तो सम्भवतः वे हमें उसी दिन मिल जायें किन्तु जो लोग उन्हें अपने घर पर चाहेंगे उन्हें वे तीन दिन में मिलेंगी। सदस्यों को कम से कम तीन या चार दिन मिल जायेंगे। इसलिये मेरे विचार से, इस स्थल पर तीन दिन के स्थान पर पांच दिन का उल्लेख होना चाहिये।

मैं यह प्रस्ताव भी उपस्थित करता हूं कि:

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (3) में 'and at this stage' (और इस अवसर पर) शब्दों से आरम्भ होने वाले वाक्यांश से लेकर इस उपनियम के अन्त तक के शब्दों के स्थान पर यह रखा जाये:

'and at this stage the debates shall be controlled by the President according to his discretion' (और इस अवसर पर अध्यक्ष वाद-विवाद पर स्वविवेक से नियंत्रण रखेगा।)"

वर्तमान उपबन्ध बहुत ही अनुपयुक्त है। जब मसौदा-समिति किसी संशोधन को उपस्थित करे तो सदस्यों को उस पर अपना मत प्रकट करने का अधिकार होना चाहिये। हमने अध्यक्ष को स्वविवेक से निर्णय करके सदस्यों को बोलने की आज्ञा देने की शक्ति दी है। यदि कोई सदस्य किसी सारवान संशोधन का सुझाव रखे तो अध्यक्ष को उसे उपस्थित करने की आज्ञा देने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। मुझे आशा है कि श्रीमती दुर्गाबाई इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगी।

मेरा अगला संशोधन इस प्रकार है:

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (6) में से 'and it shall not be necessary for the President to put each of those amendments separately to vote' (और अध्यक्ष के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह उन संशोधनों में से प्रत्येक संशोधन पर पृथक् मत ले) शब्द निकाल दिये जायें।"

यह संशोधन उपस्थित किया जा चुका है। मैं उसका केवल समर्थन करना चाहता हूं।

उचित यही है कि प्रत्येक संशोधन पर मत लिया जाये। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा।

इसके अतिरिक्त मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं कि:

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (4) के अन्त में यह जोड़ दिया जाये: 'except by the President according to his discretion' (उस दशा के अतिरिक्त जब अध्यक्ष ने स्वविवेक से आज्ञा दी हो)"

प्रस्तावित उपनियम 4 में कहा गया है कि:

"उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात्, कोई भी सदस्य किसी रस्मी संशोधन को अथवा किसी ऐसे संशोधन के आनुषंगिक संशोधन को उपस्थित कर सकता है जिसकी मसौदा-समिति ने उपनियम (1) के अधीन

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

उसके पास संविधान भेजे जाने पर किसी उपबन्ध के सम्बन्ध में सिफारिश की हो, किन्तु उसे किसी अन्य संशोधन को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।"

मैंने यह सुझाव रखा है कि इसमें "उस दशा के अतिरिक्त जब अध्यक्ष ने स्वविवेक से आज्ञा दी हो" शब्द जोड़ दिये जायें। इसके फलस्वरूप सारवान संशोधन भी उपस्थित किये जा सकेंगे, यद्यपि वे अध्यक्ष के स्वविवेक से आज्ञा देने पर ही उपस्थित किये जा सकेंगे। सम्भव है कि संशोधन केवल आनुषंगिक अथवा रस्मी ही न हों और ऐसे संशोधन भी हों जो सारवान हों। इसलिये अध्यक्ष को उन्हें भी उपस्थित करने की आज्ञा देने की शक्ति प्रदान करनी चाहिये। मैं इस संशोधन द्वारा सदस्यों को कोई अधिकार नहीं दे रहा हूं। किन्तु अध्यक्ष को स्वविवेक से निर्णय करने की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। मुझे आशा है कि इस संशोधन पर आपत्ति नहीं की जायेगी।

इसके अतिरिक्त प्रस्तावित नियम 38-दद के सम्बन्ध में भी मैं दो संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं। उपनियम दो में यह प्रस्तावित किया गया है कि "अध्यक्ष उपनियम (1) के अधीन उपस्थित किये हुए प्रस्ताव पर होने वाले वाद-विवाद में भाषणों के लिये काल-सीमा निश्चित कर सकता है।" इसका अर्थ यह है कि सब संशोधनों को निबटाने के पश्चात् तृतीय पठन के अवसर पर काल-सीमा निश्चित की जायेगी। अच्छा तो यह होता कि कोई काल-सीमा नहीं रखी जाती किन्तु यह सम्भव नहीं है। इसलिये अपने संशोधन में मैंने यह सुझाव रखा है कि:

"प्रस्तावित नियम 38-दद के उपनियम (2) के स्थान पर यह रखा जाये:

'(2) Members desirous of participating in the debate on a motion made under sub-rule (1) shall notify their names to the President at least 36 hours before the motion is made and the President may fix a time limit on the duration of speeches on the motion after receiving all such names, but the time limit shall not be less than 40 minutes. The President shall have power to give longer time to any speaker in exceptional circumstances, and he may also order a speaker to cut short his speech according to his discretion.'

[(2) उपनियम (1) के अधीन उपस्थित किये गये प्रस्ताव पर होने वाले वाद-विवाद में जो सदस्य भाग लेना चाहेंगे वे प्रस्ताव उपस्थित होने से कम से कम 36 घंटे पूर्व अपने नामों की सूचना अध्यक्ष को देंगे

और अब अध्यक्ष को ये सब नाम मिल जायेंगे तब वह भाषणों की काल-सीमा निश्चित करेगा किन्तु वह काल-सीमा 40 मिनट से कम की नहीं होगी। विशेष स्थिति में अध्यक्ष किसी वक्ता को अधिक समय दे सकेगा और वह किसी वक्ता को स्वविवेक से यह आदेश भी दे सकेगा कि वह अपने भाषण को शीघ्र समाप्त करे।]"

श्रीमान, मैं केवल यह चाहता हूं कि जो सदस्य वाद-विवाद में भाग लेना चाहें उन्हें इसके लिये अवसर मिलना चाहिये। प्रस्ताव उपस्थित करने के 36 घंटे पूर्व उन्हें अपने नाम भेजने का अवसर मिलना चाहिये। इससे श्रीमान, आपको विदित हो जायेगा कि कौन से सदस्य विचार-विमर्श में भाग लेना चाहते हैं। मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक वक्ता को कम से कम 40 मिनट दिये जाने चाहिये क्योंकि उसे पूरे संविधान के सम्बन्ध में बोलना होगा। आप यदि यह देखें कि कोई सदस्य महत्वपूर्ण तर्क उपस्थित कर रहा है अथवा सभा का समय नष्ट कर रहा है तो आप स्वविवेक से उसे अधिक समय दे सकते हैं, अथवा कम समय दे सकते हैं किन्तु जो कोई व्यक्ति वाद-विवाद में भाग लेना चाहे उसे उसके लिए अवसर मिलना चाहिये। यदि मेरा सुझाव स्वीकार कर लिया गया तो किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। आपको यह विदित होगा कि कितने वक्ता भाग लेंगे और आप उसके अनुसार समय देंगे। इस प्रकार वाद-विवाद यथोचित रूप से हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त मैंने खण्ड (2क) में यह भी कहा है कि:

" 'The President shall have power to extend the duration of the daily sittings of the Assembly' (अध्यक्ष को सभा के प्रतिदिन की बैठकों के समय को बढ़ाने की शक्ति होगी।)"

इस समय हम प्रात: तीन घंटे बैठते हैं और दोपहर के पश्चात् केवल दो घंटे बैठते हैं और उसका कारण यह है कि हमारे दल की बैठकें होती हैं और अन्य बैठकें भी होती हैं। किन्तु अन्तिम पठन अर्थात् तृतीय पठन आरम्भ करने तक यह सब समाप्त हो जायेंगी और कोई कारण नहीं है कि हम अधिक समय तक नहीं बैठ सकें। श्रीमान, यह हम सभी को विदित है कि कामन्स सभा की बैठकें नौ दस घंटे तक होती हैं। यदि हम निश्चित समय में अपना संविधान समाप्त कर देना चाहते हैं तो हमें अपनी बैठकों का समय बढ़ाना चाहिये और आवश्यकता होने पर आठ या दस घंठे तक भी बैठना चाहिये। मैं चाहता हूं कि आपको यह शक्ति प्राप्त हो जाये ताकि आप बैठकों के समय को बढ़ा सकें। आपको विदित होगा कि वाद-विवाद में कितने वक्ता भाग लेंगे और आप इसका भी हिसाब लगा सकेंगे कि कितने समय की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखकर आप बैठकों का समय बढ़ा सकते हैं। मेरी इच्छा तो यह थी कि विधान सभा का सत्र 14 तारीख से आरम्भ होता और संविधान का अन्तिम पठन उसके पश्चात् आरम्भ किया जाता ताकि उसे पढ़ने के लिये, तथा छूटी हुई बातों तथा विराम आदि को देखने के लिये, हमें अधिक समय मिल जाता। किन्तु मुझे आशा है कि मसौदा-समिति शीघ्र कार्य में लग जायेगी और हमारे लिये सभी कुछ तैयार रखेगी।

श्रीमान, श्रीमती दुर्गाबाई के इस कथन से मुझे कुछ भी प्रसन्नता नहीं हुई कि हम इस कार्य पर बहुत धन नष्ट कर चुके हैं। पिछले तीन वर्षों में हमने जितने

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

भी कार्य किये हैं उनमें संविधान के निर्माण का कार्य सबसे महान है। हमने कितने ही जटिल प्रश्नों को हल किया है और उसे ध्यान में रखते हुए जितना समय लगा है और जितना धन व्यय हुआ है वह अधिक नहीं है। श्री कामत ने हमें बताया कि हमने इस संविधान पर लगभग 60, 70 लाख रुपया व्यय किया है। यह धन तीन वर्षों में व्यय हुआ है और यह कोई बड़ी धन-राशि नहीं है। अपने देश के इतिहास में आज प्रथम बार हम एक लोकतंत्रात्मक संविधान स्वीकार कर रहे हैं और देश के विभिन्न भागों को एक ही संघ में समाविष्ट करने में समर्थ हुए हैं। इसलिये मेरे विचार से इसमें जो समय लगा है और जो धन व्यय हुआ है वह नष्ट नहीं हुआ है। सब कार्य इन बैठकों में ही सम्पन्न नहीं हुआ है। बहुत सा काम इस सभा के बाहर मसौदा समिति ने समिति की बैठकों में किया है। मैं यह नहीं चाहता कि अब अन्त में हम किसी काम को जल्दी में करें ताकि हमारे विरोधी यह न कह सकें कि हमने संविधान जल्दी में पारित किया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधनों की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि श्रीमती दुर्गाबाई उन्हें स्वीकार कर लेंगी।

***डॉ. बी. पट्टाभी सीतारमय्या** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, अब हम अपनी यात्रा की अन्तिम मंजिल के निकट आ पहुंचे हैं। जब रेलगाड़ी सीधी पटरियों पर चलती है तो वह नियमित ढंग से चलती है और अधिक से अधिक तेज चलकर फिर रुक जाती है। रेलवे स्टेशन के निकट आने पर उसे टेढ़ी-मेढ़ी पटरियों पर चलना होता है और उसके अगल-बगल भी पटरियां होती हैं तथा स्टेशन का सुपरिंटेंडेंट अपने कमरे में नकशे पर पटरियों के प्रत्येक जोड़ को देखता रहता है और वहां से गाड़ी को ठीक रास्ते पर रखता है। इसी दृष्टि से हम नियमों में प्रस्तावित परिवर्तनों को देखना है। हो सकता है कि वे रस्मी अथवा अनावश्यक प्रतीत हों किन्तु अब चूंकि हम अन्तिम मंजिल के निकट हैं इसलिये सदन के प्रत्येक सदस्य को उनकी ओर ध्यान देना चाहिये।

इस दृष्टि से मैंने उनकी शब्दावली की परीक्षा है। मेरे विचार से पैरा (1) में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। उसमें कहा गया है कि:

> ".....और हाशिये के लेखों को दुहराया जाये और पूरा किया जाये और संविधान-सम्बन्धी ऐसे रस्मी अथवा आनुषंगिक अथवा अन्य आवश्यक संशोधनों की सिफारिश की जाये।"

"अन्य" और "आवश्यक" दोनों शब्दों के कारण मैं कुछ कठिनाई का अनुभव कर रहा हूं। इस स्थल पर "आवश्यक" शब्द जानबूझ कर रखा गया है। यदि उद्देश्य यह है कि अर्थ पूरा किया जाये तो "अन्य" शब्द से भिन्न अर्थ हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि आपका आशय "अथवा आवश्यक संशोधन" से है तो इस आवश्यकता का स्पष्ट शब्दों में वर्णन करना चाहिये। आवश्यकता अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। यदि यह कहा जाये कि आवश्यकता के अन्तर्गत वे सब दशाएं आ जाती हैं जो मसौदे को मसौदा-समिति

के पास भेजने के पश्चात् उत्पन्न हुई हों तो इस शब्द से आशय पूरा हो जायेगा और संशोधन केवल रस्मी अथवा आनुषंधिक नहीं रह जायेगा। किन्तु "आवश्यक" शब्द का यह विस्तृत अर्थ करने में "अन्य" शब्द बाधक सिद्ध होता है। इसलिये श्रीमान, मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय अथवा कोई सदस्य महोदय जो अधिकृत रूप से बता सकें हमें बतायें कि "आवश्यक" शब्द का क्या अर्थ है। यदि उसका अर्थ वही है जो मैंने किया है तो ठीक ही है किन्तु यदि वह अर्थ नहीं तो इस शब्द की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यदि इसका वही अर्थ है तो "अन्य" शब्द को कृपा करके निकाल दिया जाये।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि नियमित रूप से मैंने किसी संशोधन की सूचना नहीं दी है। यह संशोधन सारवान तो है किन्तु है यह शाब्दिक ही। मुझे विश्वास है कि इन नियमों की प्रस्ताविका इसे स्वीकार कर लेंगी।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** अध्यक्ष महोदय, अपनी माननीय मित्र श्रीमती दुर्गाबाई के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अपने माननीय मित्र मि. नजीरुद्दीन अहमद की एक दो आलोचनाओं का उत्तर देना चाहता हूं। यद्यपि, मैं देखता हूं कि वे सभा में उपस्थित नहीं हैं।

श्रीमान, संचालन समिति ने नियमों में इस संशोधन का प्रस्ताव इस उद्देश्य से किया है कि तृतीय पठन के अवसर पर सभा का कार्य शीघ्रता से तथा सुविधा के साथ हो और अनावश्यक रूप से वाद-विवाद में भी किसी प्रकार का निर्बन्धन न लगे। श्रीमान, तृतीय पठन के अवसर पर समय का बहुत महत्व होगा। हमें आशा है कि आप सम्भवत: 14 नवम्बर से ही सत्र आरम्भ करने का निर्णय करेंगे। इस दशा में हमें 26 नवम्बर तक संविधान का तृतीय पठन समाप्त कर देना होगा क्योंकि इस सभा की बैठक अन्यत्र 28 नवम्बर से होने जा रही है। तृतीय पठन के लिये कार्यक्रम निश्चित करने में इन सभी बातों की ओर ध्यान दिया गया है। इसलिये मसौदा-समिति द्वारा प्रस्तावित रस्मी संशोधनों को स्वीकार करने के समान प्रारम्भिक कार्यों के लिये कुछ ही दिन रखे गये हैं। मसौदा-समिति को संविधान को दुहरा कर उसकी एक साफ प्रति भी तैयार करनी होगी। नियम 38-द के सम्बन्ध में जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसके द्वारा यह परिसीमन रखने का प्रयास किया गया है।

इस प्रकार के किसी विषय के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय आप ही को करना चाहिये, भले ही नियमों में हम यह निर्धारित कर दें कि इतने दिन दिये जाने चाहियें। इस विषय के सम्बन्ध में आप ही स्वविवेक से अन्तिम निर्णय करेंगे। स्वविवेक से निर्णय करने की शक्ति नियम 38-दद से और भी बढ़ जाती है। इसका निर्णय आप ही करेंगे कि नियम में जितना समय रखा गया है उतना ही दिया जाये अथवा अधिक समय दिया जाये। स्वविवेक से निर्णय करने की आपकी शक्ति को सीमित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु मेरे विचार से हमें एक कार्यक्रम के अनुसार, एक योजना के अनुसार, कार्य करना चाहिये। इस समय हमारे ध्यान में यह योजना आई है कि संविधान की एक साफ प्रति बनाने में मसौदा-समिति हमारे सामने जिन प्रारम्भिक परिवर्तनों को रखे उन पर विचार-विमर्श करने के लिये हमें कुछ दिन अलग रखने चाहियें और फिर तृतीय पठन के भाषण आरम्भ करने चाहियें जिनको इस सभा के सदस्य बहुत महत्व देते हैं।

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी सन्देह नहीं है कि जब तक तृतीय पठन आरम्भ किया जायेगा तब तक इस सभा में सारे देश का पूर्ण प्रतिनिधित्व हो जायेगा और उस समय हमारे इस कार्य की प्रशंसा होगी क्योंकि वह एक ऐसा कार्य है जो पीढ़ियों तक स्थाई रहेगा। इस कार्य में जिन माननीय सदस्यों का हाथ रहा है वे अवश्य ही बोलना चाहेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहस करते समय हम स्वयं बता चुके हैं कि हमारे मार्ग में कौन-सी कठिनाइयां हैं और हमने एक प्रकार से उन लोगों के लिये इस मार्ग को प्रकाशित कर दिया है तो भविष्य में इस संविधान को प्रयोग में लायेंगे। इसलिये तृतीय पठन के अवसर पर वाद-विवाद के लिये जितने भी दिन अलग रखे जा सकें उतने अलग रखने चाहियें। यदि प्रारम्भिक बातों के लिये अधिक समय दिया गया तो तृतीय पठन के वाद-विवाद के लिये अधिक समय नहीं दिया जा सकेगा, यद्यपि बहुत से माननीय सदस्य उसमें भाग लेना चाहेंगे। इसलिये मेरे माननीय मित्र श्री कामत तथा प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना को इसे स्मरण रखना चाहिये, क्योंकि वे प्रारम्भिक वाद-विवाद के लिये अधिक समय रखना चाहते हैं।

श्री कामत ने एक बात कही है जिसे मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूं, यद्यपि जब वे बोल रहे थे तो मैंने आपकी अनुमति से बीच में बोलकर उसकी व्याख्या की थी। जैसा कि मैंने उस समय उन्हें बताया था, इस स्थल पर यह कल्पना की गई है कि यदि आप इसके लिये सहमत हो गये कि सब कुछ मसौदा समिति के पास भेजा जाये और वह एक साफ प्रति तैयार करे, तथा आवश्यक आनुषंगिक संशोधनों को भी करे, और अन्य आवश्यक संशोधनों को भी करे, तो हम आशा करते हैं कि हम संविधान को तथा संशोधनों को पुस्तक रूप में निकाल सकेंगे और उसके साथ एक प्रतिवेदन भी जोड़ सकेंगे जिसमें, अथवा जिसके परिशिष्ट में, छोटे बड़े सभी परिवर्तनों की व्याख्या की जायेगी जिससे सभा सीधे-सीधे समझ सकेगी कि कौन से संशोधन किये गये हैं। यदि सदस्य यह देखेंगे कि वे इन संशोधनों को, अथवा इनमें से कुछ को, स्वीकार नहीं कर सकते तो वह संशोधन उपस्थित कर सकते हैं, किन्तु शर्त यह है कि आप यह समझें कि वे आवश्यक हैं और केवल मसौदे की शुद्धि के सम्बन्ध में अथवा भिन्न शब्दों में समान आशय के नहीं हैं। इस दशा में मसौदा समिति ने जो संशोधन उपस्थित किये हों वही पर्याप्त समझे जाने चाहियें। आप स्वयं इसका निर्णय करेंगे कि किन संशोधनों को उपस्थित करने की आज्ञा दी जाये।

हमने जिस प्रक्रिया की कल्पना की है वह यह है कि जैसे पहले हमने संविधान के मसौदे पर विचार किया था वैसे ही हम इस पूरे मसौदे पर विचार करें और आपके विवेक के अधीन रहकर सदस्यों को संशोधन उपस्थित करने का अधिकार हो। उन संशोधनों के स्वीकार या अस्वीकार होने पर तदनुसार कार्यवाही होगी। यदि कोई संशोधन उपस्थित नहीं किये गये तो मसौदा समिति का प्रस्ताव बिना संशोधन के ही स्वीकार कर लिया जायेगा। इस दशा में जब कि इस सभा के सदस्यों का यह विचार हो कि मसौदा-समिति ने जिन परिवर्तनों का सुझाव रखा है और जिन्हें संविधान की साफ प्रति में समाविष्ट कर लिया गया है उन्हें स्वीकार कर लिया जाये और उनके विपरीत वे किन्हीं संशोधनों को उपस्थित न करें तो मसौदा

समिति के किये हुए प्रत्येक परिवर्तन पर मत लेकर निर्णय करने की प्रक्रिया का फिर अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

श्रीमान, हमारे आदरणीय नेता डॉ. पट्टाभि सीतारमय्या ने जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में इस संशोधन का मसौदा तैयार करने वाले एक सदस्य के नाते मैं सभा से क्षमा चाहता हूं और यह निवेदन करता हूं कि हमने इसकी पूर्ण रूप से परीक्षा नहीं की है कि "अन्य" शब्द का क्या प्रभाव होगा। और मेरी अपनी यह धारणा है कि डॉक्टर महोदय का निर्वचन सही निर्वचन है। हमने "आवश्यक संशोधन" शब्द इस उद्देश्य से रखे कि मसौदा-समिति सभा के समक्ष जिस साफ प्रति को रखेगी उसमें यदि आप "आवश्यक संशोधनों" की आवश्यकता समझें तो आप "आवश्यक संशोधनों" को उपस्थित करने की आज्ञा दे सकते हैं। मेरा आपसे तथा सभा से अनुरोध है कि मेरे माननीय मित्र डॉ. पट्टाभि सीतारमय्या का सुझाव स्वीकार कर लिया जाये और नियम 38-द के खण्ड (1) में प्रयुक्त "अन्य आवश्यक संशोधनों" पदावली में से "अन्य" शब्द निकाल दिया जाये।

जो अन्य संशोधन उपस्थित किये गये हैं उनके गुण-दोषों पर मैं अपने विचार व्यक्त नहीं करना चाहता। मेरे विचार से उनके सम्बन्ध में मेरी माननीय मित्र श्रीमती दुर्गाबाई बोलेंगी। किन्तु मैं यह कहूंगा कि सम्भवत: मि. नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन संख्या 2 के अतिरिक्त, जिसमें मेरे मित्र ने "खण्ड" के स्थान पर "अनुच्छेद, खण्ड, और उपखण्ड" शब्द रखे हैं अन्य किसी संशोधन को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इस संशोधन से शब्दावली अवश्य अच्छी हो जाती है। इसके अतिरिक्त डॉ. पट्टाभि सीतारमय्या ने भी जिस संशोधन का सुझाव रखा है उसे भी स्वीकार कर लिया जाये। मि. नज़ीरुद्दीन अहमद, श्री कामत और प्रो. सक्सेना ने जिन अन्य संशोधनों का सुझाव रखा है उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। किन्तु यह मूल संशोधन की प्रस्ताविका की इच्छा पर निर्भर है कि वे मेरे सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार करें। मुझे आशा है कि सभा यह अनुभव करेगी कि तृतीय पठन के लिये एक कार्यक्रम निश्चित करने की आवश्यकता है क्योंकि उस अवसर पर हमें सदस्यों को आवश्यक संशोधनों को उपस्थित करने के लिये अधिक से अधिक स्वतन्त्रता देनी होगी। साथ ही अन्तिम बार सभा के वाद-विवाद में भाग लेने तथा अपना पूर्ण योग देने के लिये हमें अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर देना होगा। इसी को दृष्टि में रखकर इस प्रकार का नियम बनाया गया है।

अब मैं दो शब्द उन शक्तियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो अध्यक्ष में सन्निहित हैं और जिनका हमने निश्चित शब्दों में उल्लेख किया है। यह उल्लेख विशेषतया नियम 38-दद में किया गया है। मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने खण्ड (2) और (3) पर इस कारण आपत्ति की है कि ये शक्तियां सन्निहित हैं और इनका निश्चित शब्दों में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यदि स्थिति यह है तो उनका निश्चित शब्दों में उल्लेख करने से भी कोई हानि नहीं होगी। इन शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख करने से हम कई ऐसी कठिनाइयों को भी दूर कर सकते हैं जो पहले कई अवसरों पर, विशेषतया पिछले सत्र में उठ खड़ी हुई थीं। नियमों की कठोरता के कारण हमें कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा था। अध्यक्ष

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

में जो अत्यधिक शक्तियां निहित हैं उनसे वे बिना सभा की मंजूरी के लाभ उठाना नहीं चाहते थे। श्रीमान, मेरी यह धारणा है कि तृतीय पठन के अवसर पर अध्यक्ष को इस प्रकार की तथा निश्चित शक्तियों को देने की आवश्यकता पड़ेगी।

***श्री एच.वी. कामत:** मेरे माननीय मित्र डॉ. पट्टाभि सीतारमय्या ने जिस "अन्य" शब्द को निकालने का प्रस्ताव किया है उससे वास्तव में कैसा भ्रम उत्पन्न होता है?

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** भ्रम इस कारण उत्पन्न होगा कि आरम्भ में उद्देश्य यह था कि केवल रस्मी और आनुषंगिक संशोधन उपस्थित किये जायेंगे। अब से सम्भवत: 14 नवम्बर तक जो कुछ होगा यदि उसके सम्बन्ध में किसी अन्य प्रकार के संशोधनों की आवश्यकता हुई और अध्यक्ष का यह विचार हुआ कि इस प्रकार के रूप-भेद की आवश्यकता है तो माननीय सदस्यों को यह ध्यान में रखना चाहिये कि इसका निर्णय अध्यक्ष ही करेगा कि कौन से संशोधन आवश्यक है। तदन्तर वे पारित किये जायेंगे।

***श्री एच.वी. कामत:** "अन्य" शब्द के सम्बन्ध में आपकी क्या सम्मति है?

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** हमारे आदरणीय नेता डॉ. पट्टाभि सीतारमय्या की यह धारणा है कि अन्य शब्द "आवश्यक संशोधनों" का विशेषण बेकार में बनाया गया है और वास्तव में वह उनके पहले आने वाले शब्दों का अर्थात् "रस्मी अथवा आनुषंगिक" शब्दों का विशेषण हो जाता है और आवश्यक शब्द का विशेषण नहीं होता। मैं डॉ. पट्टाभि सीतारमय्या के निर्वचन से सहमत हूं। यदि अध्यक्ष उससे सहमत हो तो वह सभा के सामने यह प्रस्ताव रख सकता है कि वह उसके सम्बन्ध में निर्णय करे।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** अनावश्यक और बेकार संशोधनों के सम्बन्ध में अध्यक्ष को पूर्ण शक्ति प्राप्त है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** यह हमेशा ही हमारे ध्यान में रहा है। यह संविधान सभा एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व सम्पन्न निकाय है और अध्यक्ष को ऐसी सर्वोच्च शक्तियां प्राप्त हैं जिन पर नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किन्तु फिर भी हमने यह अनुभव किया कि इसका निश्चित शब्दों में उल्लेख कर देना चाहिये कि वह इन शक्तियों को क्यों और कैसे प्रयोग करेगा। हमने यही उचित समझा है कि अपने नियमों की सीमा के अन्दर रहते हुए जहां तक हो सके इसका उल्लेख कर दिया जाये।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** यदि मसौदा-समिति कोई ऐसी गलती करे जो स्पष्ट हो और जो एक बड़ी गलती हो तो.....

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** हमें भरोसा है कि जो कमी रह जायेगी उसे मि. नज़ीरुद्दीन अहमद पूरा कर देंगे।

***श्री कला वेंकट राव** (मद्रास : जनरल): मैं चाहता हूं कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिया जाये। भाषा पर आधृत प्रान्तों का प्रश्न अभी हल नहीं किया गया है। उद्देश्य यह दिखाई देता है कि यदि आवश्यकता हुई तो तृतीय पठन के अवसर पर अनुसूची को संशोधित किया जाये। इन नियमों का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तृतीय पठन के अवसर पर किसी संशोधन द्वारा हम भाषा पर आधृत नवीन प्रान्त कैसे बना सकेंगे और जिस प्रक्रिया का प्रस्ताव श्रीमती दुर्गाबाई ने रखा है, और जिसका स्पष्टीकरण श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने किया है, उसमें इस सम्बन्ध में किस प्रकार का उपबन्ध है? श्रीमान, मैं चाहता हूं कि यह स्पष्ट कर दिया जाये कि क्या अनुसूची 1 में कुछ राज्यों को प्रविष्ट करने के सम्बन्ध में किसी संशोधन को उपस्थित किया जा सकेगा और क्या तदनुसार सारे अधिनियम में आनुषंगिक संशोधन किये जा सकेंगे। मैं यह चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में इन नियमों में स्पष्ट शब्दों में कोई उपबन्ध रख दिया जाये। मेरी यही प्रार्थना है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मैं पहले से इसका अनुमान नहीं लगाना चाहता कि माननीय अध्यक्ष महोदय अनुसूची 1 के सम्बन्ध में कैसा वक्तव्य देंगे किन्तु मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न तथा अन्य प्रश्न भी "आवश्यक संशोधनों" शब्दों के अधीन उठाये जा सकेंगे। यदि सभा डॉ. पट्टाभी सीतारमय्या के सुझाये हुए संशोधनों को स्वीकार कर लेगी तो इस नियम का आशय स्पष्ट हो जायेगा। तब आनुषंगिक तथा आवश्यक दोनों प्रकार के संशोधन उपस्थित किये जा सकते हैं।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): क्या मेरे माननीय मित्र को विदित है कि विधान सभा के नियमों के अधीन प्रथम पठन तथा तृतीय पठन के अवसरों पर भाषणों के लिये कोई काल-सीमा नहीं होती? इस दशा में तृतीय पठन के अवसर पर हम सदस्यों को जितने समय तक वे चाहें उन्हें बोलने क्यों न दें?

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मेरे मित्र को इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। विधान सभा के वर्तमान नियमों में वित्त-विधेयक के सम्बन्ध में एक काल-सीमा निश्चित की गई है।

***श्री आर.के. सिधवा:** मैं कह नहीं सकता कि अध्यक्ष महोदय ने कोई नये नियम बनाये हैं या नहीं। किन्तु यह मैं जानता हूं कि वे नियम सभा के समक्ष नहीं रखे गये हैं। जहां तक मुझे विदित है, कोई काल-सीमा नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि कोई वक्ता अप्रासंगिक बातें कर रहा हो अथवा उन्हीं तर्कों को बार-बार दुहरा रहा हो, अथवा सभा का समय बेकार में नष्ट कर रहा हो तो अध्यक्ष उसे रोक सकता है।

***अध्यक्ष:** इस प्रस्ताव पर मत लेने के पूर्व मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। जैसाकि श्री कृष्णमाचारी बता चुके हैं, तृतीय पठन आरम्भ करने के पूर्व हमें सारी स्थिति पर विचार करना होगा। केवल हम दो सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। एक सीमा इस ओर है और दूसरी उस ओर। अर्थात् 14 नवम्बर के पूर्व कार्य आरम्भ करना सम्भव नहीं है और 25 तारीख के आगे अथवा अधिक से अधिक 26 तारीख से आगे इस बहस को जारी रखना भी सम्भव नहीं है क्योंकि संविधान-सभा (विधाई) की बैठक 28 तारीख से होने जा रही है।

***श्री आर.के. सिधवा:** उसके पश्चात् भी हम रात की बैठकें कर सकते हैं।

***अध्यक्ष:** उन बारह दिनों में और यदि शनिवार की भी बैठक की जाये तो तेरह दिनों में, हमें पूरा तृतीय पठन समाप्त कर देना होगा। नियमों के इस संशोधन में यह समय-सारिणी निश्चित की गई है और हमें इन काल-सीमाओं का ध्यान रखना है। यदि हम इस ओर संशोधनों पर अधिक समय लगायेंगे तो हमें सामान्य वाद-विवाद के लिये उतना ही कम समय मिलेगा। यदि हम किसी वक्ता को अधिक समय दें तो हम अधिक वक्ताओं को अवसर नहीं दे सकेंगे। यदि हम संशोधनों को निबटाने के लिये तीन दिन अलग रखें—क्योंकि दो दिन का सुझाव रखा गया है और यदि संशोधनों के महत्व को देखते हुए एक दिन और रखें—तो केवल नौ दिन बचेंगे। अन्तिम दिन मैं कुछ रस्मों के लिये अलग रखना चाहता हूं। इसलिये केवल आठ दिन रह जायेंगे। चालीस मिनट प्रति वक्ता के हिसाब से साठ वक्ताओं को बोलने का अवसर मिल सकेगा।

***श्री एच.वी. कामत:** सभा प्रति दिन कितने घंटों के लिये समवेत् होगी?

***अध्यक्ष:** पांच घंटे के लिये।

***श्री आर.के. सिधवा:** हम दस घंटे बैठ सकते हैं।

***अध्यक्ष:** दस घंटे का अर्थ होगा कि 120 वक्ता बोल सकेंगे।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** हम दस घंटे बैठने के लिये तैयार हैं।

***अध्यक्ष:** यह आप पर निर्भर है। आप जितने समय तक बैठना चाहें बैठें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

***श्री एच.वी. कामत:** हम आठ घंटे बैठें।

***अध्यक्ष:** हम इसका निश्चय उसी समय करेंगे। मैं इस समय इस सम्बन्ध में निश्चय नहीं कर रहा हूं कि हम कितने घंटे बैठेंगे। मैं केवल हिसाब लगा रहा हूं। सभा कितने घंटे तक समवेत् रहे इस सम्बन्ध में वह स्वयं निर्णय करेगी। मैं यह वचन देता हूं कि मैं उसके मार्ग में बाधा नहीं डालूंगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गणपूरक का प्रश्न रहेगा। (*हास्य*) और यह मेरी शक्ति से बाहर है कि मैं सदस्यों को सभा में आने के लिये बाध्य करूं।

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्त प्रान्त : जनरल): मैं एक प्रश्न के सम्बन्ध में आपका निर्णय अथवा माननीय प्रस्ताविका का उत्तर जानना चाहता हूं। संयुक्त प्राप्त का नाम बदलने के सम्बन्ध में भी संशोधन आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप तृतीय पठन के अवसर पर उन पर विचार करने की आज्ञा देंगे।

***अध्यक्ष:** मैं केवल यह कह सकता हूं कि यदि नाम बदलने के बारे में सामान्यत: सभी सहमत हों तो मैं बाधा नहीं डालूंगा। यदि वाद-विवाद हुआ और विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये तो जो नाम दिया गया है उसी नाम को मैं रहने दूंगा।

***श्री महावीर त्यागी:** यदि सभा इस प्रश्न को संयुक्त प्रान्त के सदस्यों के निर्णय के लिये छोड़ दे तो?

***अध्यक्ष:** मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी किन्तु मैं स्वयं संयुक्त प्रान्त के नाम के सम्बन्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहूंगा।

***श्री आर.के. सिधवा:** नाम बदलने का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा यह सुझाव है कि इस सभा के सदस्यों को इस सम्बन्ध में निर्णय करने की स्वतंत्रता देना उचित नहीं होगा। इसका अधिकार सम्बन्धित प्रान्त की सरकार तथा वहां के विधान-मंडल को देना चाहिये। यहां बहस करके हम किसी प्रान्त का नाम नहीं बदल सकते। इस विषय पर साधारण तौर पर विचार नहीं करना चाहिये।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से आप ठीक कहते हैं। मैं यह कह चुका हूं कि यदि सभी पक्ष इस सम्बन्ध में सहमत हों तो मैं बहस का विरोध नहीं करूंगा।

***श्री महावीर त्यागी:** प्रान्त के प्रधान मंत्री का कथन पर्याप्त समझा जाना चाहिये।

***अध्यक्ष:** इस विषय मेरे विचार से हमें इस पर जोर न देना चाहिये कि मैं अथवा कोई सदस्य कोई वचन दे। जैसे-जैसे प्रश्न उठेंगे हम उन पर विचार करेंगे और निर्णय करेंगे।

मेरे विचार से मि. नजीरुद्दीन अहमद ने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने भी यह कहा था कि संशोधनों की सूचना देने के लिए बहुत कम समय दिया जा रहा है। अब केवल तीन दिन दिये जा रहे हैं। मेरा यह सुझाव है कि अच्छा यह होगा कि श्री शिब्बन लाल सक्सेना का संशोधन स्वीकार कर लिया जाये जिसके अधीन यह समय बढ़ाकर पांच दिन कर दिया गया है। किन्तु सब कुछ छापेखाने के साधनों पर निर्भर रहेगा। हम अपनी ओर से यथासम्भव प्रयास करेंगे किन्तु यदि आप चाहेंगे कि पांच दिन दिये जायें और कार्यालय का भी यही विचार होगा तो मैं पांच दिन दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं करूंगा।

***श्री एच.वी. कामत:** श्रीमान, आप बैठकों के समय के सम्बन्ध में सभा से कुछ कह रहे थे जब श्री त्यागी बीच में बोल उठे थे और मेरे विचार से कुछ बात बिना कही रह गई है।

***अध्यक्ष:** यह सभा पर निर्भर रहेगा कि वह कितने घंटे तक बैठना चाहेगी किन्तु किसी दशा में भी हम 26 तारीख से आगे बैठक नहीं कर सकेंगे। यह निश्चित है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** क्या आप मेरे इस सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे कि जो सदस्य भी भाग लेना चाहें वे पहले से अपने नाम भेज दें?

***अध्यक्ष:** इसे नियमों में रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई सदस्य अपना नाम नहीं भेज सके तो मैं कह नहीं सकता कि आप यह चाहेंगे कि मैं उसे नहीं बोलने दूं। श्रीमती दुर्गाबाई अब उत्तर देंगी।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व कि मैं अपने माननीय मित्रों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को उठाऊं, मैं संशोधनों के कुछ प्रस्तावकों की दो बातों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करना चाहती हूं। मैं उत्तर देने के लिये सभा का बहुत कम समय लूंगी।

मैंने एक माननीय सदस्य को मसौदा-समिति पर यह आरोप लगाते हुए सुना कि उसने इन नियमों को उपस्थित करने के लिए एक महिला को खड़ा किया है। मैं सभा को बताना चाहती हूं कि इसमें मसौदा-समिति का कोई हाथ नहीं है। इन नियमों पर संचालन-समिति ने विचार किया और इन्हें मंजूर किया और अब मैंने इन्हें सभा में उपस्थित किया है। एक अन्य सदस्य ने यह कहा कि मसौदा-समिति के कार्य का समर्थन करने के लिये एक महिला को खड़ा किया गया है। श्रीमान, मुझे खेद है कि इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों के ध्यान में, पुरुष सदस्यों के ध्यान में, स्त्री-पुरुष का विभेद ही रहता है, यद्यपि यह महिला सदस्यों के ध्यान में कभी नहीं रहता। मैं चाहती हूं कि भविष्य में स्त्री-पुरुष की कोई चर्चा न हो।

जो संशोधन उपस्थित किये गये हैं उनमें से कुछ को, जैसा कि सदस्यों को विदित है, मि. नजीरुद्दीन अहमद ने उपस्थित किया था। मैं सभा को बताना चाहती हूं कि मैं बड़े हर्ष से उनका संशोधन संख्या 2 (3) स्वीकार करती हूं जो इस प्रकार है:

"खण्डों' शब्द के स्थान पर 'अनुच्छेदों, खण्डों और उपखण्डों' शब्द रखे जायें।"

यद्यपि इस प्रश्न को मसौदा समिति हल कर सकती है किन्तु मैं बिना किसी संकोच के इस संशोधन को स्वीकार करती हूं।

श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने संशोधनों की जिस सूची को उपस्थित किया है उसके संशोधन संख्या 2 को स्वीकार करने के लिये भी मैं तैयार हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी यह सुझाव रखा है कि पूरे पांच दिन का समय दिया जाना चाहिये। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार किया जा रहा है।

अन्य सभी संशोधनों के सम्बन्ध में, विशेषत: मि. नजीरुद्दीन अहमद के संशोधनों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उनमें जो प्रश्न उठाये गये हैं उन्हें मसौदा-कार हल कर सकते हैं क्योंकि वे या तो शाब्दिक संशोधन हैं या ऐसे संशोधन हैं जो व्याकरता अथवा विराम आदि से सम्बन्ध रखते हैं। इसलिये उन्हें मसौदा-समिति तथा मसौदा-कारों के हल करने के लिये छोड़ा जा सकता है। उन्होंने पूरे तीन दिन पूर्व सूचना देने के सम्बन्ध में जो संशोधन, अर्थात् संशोधन संख्या है, उपस्थित दिया है, उसका आशय श्री सक्सेना के संशोधन से पूरा हो जाता है, जिसमें उन्होंने तीन दिन के स्थान पर पांच दिन रखने का प्रस्ताव किया है।

श्री कामत के संशोधनों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वे यह चाहते हैं कि 'किसी रस्मी संशोधन को अथवा किसी ऐसे संशोधन के आनुषंगिक संशोधन

को' शब्द निकाल दिये जायें जिससे केवल सारवान संशोधन उपस्थित किये जा सकें। हम यह अनुभव करते हैं कि संविधान के मसौदे के द्वितीय पठन के अवसर पर हजारों सारवान संशोधन उपस्थित किये जा चुके हैं। अब किसी सारवान संशोधन का सुझाव रखने की शक्ति माननीय अध्यक्ष महोदय को दी गई है। इस प्रकार के संशोधनों को मसौदा-समिति ही उपस्थित करेगी। इसलिये उस अवसर पर इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी कि सदस्य सारवान संशोधनों को, अथवा स्वतंत्र संशोधनों को, उपस्थित करें।

श्री कामत ने यह आपत्ति भी की है कि अध्यक्ष को भाषणों के लिये काल-सीमा निश्चित करने और नियमों को विस्तृत तथा निलम्बित करने की शक्ति क्यों दी जा रही है।

***श्री एच.वी. कामत:** मैंने उसकी शक्ति पर आपत्ति नहीं की। मैंने यह कहा था कि ये शक्तियां उसमें निहित हैं।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इन सभी विषयों के सम्बन्ध में अध्यक्ष को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। उसे काल-सीमा निश्चित करने की शक्ति भी प्राप्त है और स्वविवेक से किसी संशोधन को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं देने की भी शक्ति है। किन्तु मैं यह चाहती थी कि जो नियम आज उपस्थित किये गये हैं वे स्वतंत्र नियम हों और उनके द्वारा संविधान के मसौदे के तृतीय पठन के लिये तथा उसे पारित करने के लिये पूरी प्रक्रिया निर्धारित कर दी जाये। इसलिये यदि पूरी प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है तो यह कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

***श्री एच.वी. कामत:** इसकी आवश्यकता नहीं है यद्यपि यह आपत्तिजनक भी नहीं है।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** श्री सिधवा ने यह आपत्ति की थी कि विधान-सभा के नियमों में काल-सीमा के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं है इसलिये अध्यक्ष काल-सीमा निश्चित नहीं कर सकता है। मैं श्री सिधवा का ध्यान केवल विधान-सभा के नियमों के नियम 46 के उपखण्ड (4) की ओर दिलाती हूं।

***श्री आर.के. सिधवा:** उन्हें सभा ने पारित नहीं किया है। वे सभा के सामने नहीं रखे गये।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** हम उस सभा में उन्हीं नियमों का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिये मैं उनका ध्यान उन नियमों की ओर दिलाती हूं जिनके अधीन अध्यक्ष को काल-सीमा निश्चित करने की शक्ति प्राप्त है। जब तक कि हम संविधान को शीघ्रता से पारित न करना चाहें और उसमें और विलम्ब करना चाहें तब तक सभी यह अनुभव करते हैं कि अध्यक्ष को ये शक्तियां अवश्य ही प्राप्त होनी चाहियें। कुछ सदस्यों ने मेरे इस कथन पर आपत्ति की है कि हमारे कार्य पर देश का बहुत राजस्व व्यय होता है। देश के जन-साधारण के नाम पर जिनकी हम यहां तथा अन्यत्र चर्चा करते हैं मैं इस सभा के अपने मित्रों से अपील करती हूं कि

[श्रीमती जी. दुर्गाबाई]

इस कार्य को शीघ्र समाप्त किया जाये क्योंकि लम्बी प्रक्रिया के प्रश्नों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और वे उस दिन की बाट जोह रहे हैं जब वे इस संविधान से लाभान्वित होंगे। संविधान निर्माण के कार्य को शीघ्र समाप्त करने के लिये हम अध्यक्ष को अधिक शक्ति दें।

***श्री एच.वी. कामत:** जनसाधारण के नाम पर जो सभा में विलम्ब करने के लिये दोषी हैं?

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई:** डॉ. पट्टाभि सीतारमय्या ने जो प्रश्न उठाया था उसके सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री कृष्णमाचारी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। मैं बिना किसी संकोच के उनका यह सुझाव स्वीकार करती हूं कि "आवश्यक" शब्द के पूर्व जो "अन्य" शब्द प्रयुक्त है वह निकाल दिया जाये।

मेरे विचार से उन्होंने यह भी कहा था कि "आवश्यक संशोधन" शब्दों की व्याख्या की जाये। आवश्यक संशोधन वे संशोधन होंगे जिनकी देश में परिवर्तन होने के कारण आवश्यकता पड़ गई हो यदि अध्यक्ष उन्हें आवश्यक समझेगा जो वह मसौदा-समिति को उन्हें उपस्थित करने की आज्ञा देगा। यहां जो विभिन्न प्रश्न उठाये गये हैं उनका उत्तर देने के पश्चात् मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है कि मैंने जो प्रस्ताव किया है उसको सभा स्वीकार कर लेगी।

***अध्यक्ष:** अब मैं संशोधनों पर मत लूंगा।

प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नवीन नियम 38-द और 38-दद में 'Constitution' (संविधान) शब्द जहां कहीं आया है उसके स्थान पर 'Draft Constitution' (संविधान का मसौदा) शब्द रखे जायें।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (1) में–

(1) 'Considered' (विचार हो गया हो) शब्दों के स्थान पर 'Considered and disposed of' (विचार हो गया हो और निबटा दिये गये हों) शब्द रखे जायें।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (1) में–

(2) 'amended' (संशोधित रूप में) शब्दों के स्थान पर 'amended by the Assembly' (सभा द्वारा संशोधित रूप में) शब्द रखे जायें।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से भाग (3) स्वीकार कर लिया गया है।

प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (1) में—

(3) 'clauses' (खंडों) शब्द के स्थान पर 'articles, clauses and sub-clauses' (अनुच्छेदों, खण्डों और उपखंडों) शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (1) में—

(4) 'to recommend' (सिफारिश की जाये) शब्द के स्थान पर 'to submit a report recommending' (सिफारिश करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये) शब्द रखे जायें।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:—

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (1) के पश्चात् यह नवीन उपनियम प्रविष्ट किया जाये:

'(1a) the Draft Constitution as revised by the Drafting Committee under sub-rule (1) shall indicate by suitable typographical arrangements the changes and ommissions made by the Committee.'

[(1क) उपनियम (1) के अधीन मसौदा-समिति ने संविधान के मसौदे को दुहरा कर जिस रूप में रखा हो उसमें समिति ने जो परिवर्तन किये हों, अथवा उससे जो शब्द निकाले गये हों, वे उपयुक्त छपाई द्वारा दिखाये जायेंगे।]"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:—

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (2) में 'after the Constitution has been referred to the Drafting Committee the report of the Committee' (संविधान को मसौदा-समिति के पास भेजने के पश्चात् समिति के प्रतिवेदन

[अध्यक्ष]

को) शब्दों के स्थान पर 'the report of the Drafting Committee' (मसौदा-समिति के प्रतिवेदन को) शब्दों को रखा जाये।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (2) में 'in the Constitution' (इन दी कांस्टीट्यूशन) शब्दों के स्थान पर 'to the Constitution' (टू दि कांस्टीट्यूशन) शब्द रखे जायें।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (2) के परन्तुक में 'three clear days' (पूरे तीन दिन) शब्दों के स्थान पर 'seven clear days' (पूरे सात दिन) शब्द रखे जायें।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (4) में 'which is either formal or consequential upon' (किसी रस्मी संशोधन को अथवा किसी ऐसे संशोधन के आनुषंगिक संशोधन को) शब्दों के स्थान पर 'to' (किसी ऐसे संशोधन के संशोधन को) शब्द रखे जायें।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (6) में से 'and it shall not be necessary for the President to put each of those amendments separately to vote' (और अध्यक्ष के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह उन संशोधनों में से प्रत्येक संशोधन पर पृथक् मत ले) शब्द निकाल दिये जायें।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (8) में से 'shall allot not more than two days for the consideration by the Assembly of all amendments after

the motion referred to in sub-rule (2) has been carried and' [उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात्, सभी संशोधनों पर सभा के विचार करने के लिये दो दिन से अधिक नहीं देगा और] शब्द निकाल दिये जायें।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नवीन नियम 38-दद का उपनियम (2) निकाल दिया जाये।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नवीन नियम 38-दद के उपनियम (3) निकाल दिया जाये।"

संशोधन गिर गया।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** श्रीमान, संशोधन संख्या 122 पर मत लेने की आवश्यकता नहीं है। वह आनुषंगिक संशोधन ही है।

***अध्यक्ष:** मैं उस पर भी मत लूंगा। प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नवीन नियम 38-दद का उपनियम (1) नियम 38-द में उपनियम (10) के रूप में रखा जाये।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं श्री शिब्बन लाल सक्सेना के संशोधनों पर मत लूंगा। वे घुमाये नहीं गये हैं इस कारण मैं उन्हें पढ़कर सुनाऊंगा।

प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नवीन नियम 38-द के खण्ड (1) के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायें:-

'But the President shall have power to allow any other amendments to be moved according to his discretion' (परन्तु अध्यक्ष को किन्हीं अन्य संशोधनों को उपस्थित करने की आज्ञा स्वविवेक से देने की शक्ति प्राप्त होगी।)"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"नियम 38-द के उपनियम (2) के परन्तुक में 'three clear days' (पूरे तीन दिन) शब्दों के स्थान पर 'five clear days' (पूरे पांच दिन) शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (3) में 'and at this stage' (और इस अवसर पर) शब्दों से आरम्भ होने वाले वाक्यांश से लेकर इस उपनियम के अन्त तक के शब्दों के स्थान पर यह रखा जाये:

'and at this stage the debates shall be controlled by the President according to this discretion' (और इस अवसर पर अध्यक्ष वाद-विवाद पर स्वविवेक से नियंत्रण रखेगा।)"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (6) में से 'and it shall not be necessary for the President to put each of those amendments separately to vote' (और अध्यक्ष के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह उन संशोधनों में से प्रत्येक संशोधन पर पृथक् मत ले) शब्द निकाल दिये जायें।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नियम 38-द के उपनियम (4) के अन्त में यह जोड़ दिया जाये: 'except by the President according to his discretion' (उस दशा के अतिरिक्त जब अध्यक्ष ने स्वविवेक से आज्ञा दी हो।)"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित नियम 38-दद के उपनियम (2) के स्थान पर यह रखा जाये:

'(2) Members desirous of participating in the debate on a motion made under sub-rule (1) shall notify their names to the President

at least 36 hours before the motion is made and the President may fix a time limit on the duration of speeches on the motion after receiving all such names, but the time limit shall not be less than 40 minutes. The President shall have power to give longer time to any speaker in exceptional circumstances, and he may also order a speaker to cut short his speech according to his discretion.

(2a) The President shall have power to extend the duration of the daily sittings of the Assembly.'

[(2) उपनियम (1) के अधीन उपस्थित किये गये प्रस्ताव पर होने वाले वाद-विवाद में जो सदस्य भाग लेना चाहेंगे वे प्रस्ताव उपस्थित होने से कम से कम 36 घंटे पूर्व अपने नामों की सूचना अध्यक्ष को देंगे और जब अध्यक्ष को यह सब नाम मिल जायेंगे तब वह भाषणों की काल-सीमा निश्चित करेगा किन्तु वह काल-सीमा 40 मिनट से कम की नहीं होगी। विशेष स्थिति में अध्यक्ष किसी वक्ता को अधिक समय दे सकेगा और वह किसी वक्ता को स्वविवेक से यह आदेश भी दे सकेगा कि वह अपने भाषण को शीघ्र समाप्त करे।

(2क) अध्यक्ष को सभा के प्रतिदिन की बैठकों के समय को बढ़ाने की शक्ति होगी।]"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** डॉ. पट्टाभि सीतारमय्या ने एक संशोधन का सुझाव रखा है और वह यह है कि अन्तिम पंक्ति से पहली पंक्ति में जो "अन्य" शब्द प्रयुक्त हैं वह निकाल दिया जाये।

प्रस्ताव यह है कि:

"अनुच्छेद 38-द (1) की अन्तिम पंक्ति से पहली पंक्ति में जो 'other' (अन्य) शब्द प्रयुक्त है वह निकाल दिया जाये।"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं श्रीमती दुर्गाबाई द्वारा उपस्थित प्रस्ताव पर, संशोधित रूप में, मत लूंगा।

प्रस्ताव यह है कि:

"संविधान सभा के नियमों के नियम 38-द के स्थान पर ये नियम रखे जायें:

Revision of the Constitution by the Drafting Committee and the consideration of the amendments recommended by them.

'38-R. (1) When a motion that the Constitution be taken into consideration has been carried and the amendments to the Constitution moved have been considered, the President shall refer the Constitution as amended to the Drafting

[अध्यक्ष]

Committee referred to in sub-rule (1) of rule 38-L with instructions to carry out such re-numbering of the articles, clauses and sub-clauses, such revision of punctuation and such revision and completion of the marginal notes thereof as may be necessary, and to recommend such formal or consequential or necessary amendments to the Constitution as may be required.

(2) After the Constitution has been referred to the Drafting Committee, the report of the Committee shall be presented to the Assembly by the Chairman or any other membar of the Drafting Committee and thereafter the Chairman or other member of the Committee may move that the amendments recommended by the Committee in the Constitution so referred to them be taken into consideration:

Provided that no such motion shall be made until after the report of the Drafting Committee together with the copies of the Constitution as revised by them has been made available for the use of members and that any members may object to any such motion being made unless the report and the copies of the Constitution as so revised have been made available five clear, days before the date on which the motion is made, and such objection shall prevail unless the President in his discretion allows the motion to be made.

(3) While making any motion referred to in sub-rule (2), the mover shall confine himself to an explanatory statement and at this stage there shall be no debate, and the President may, after such statement has been made, put the question.

(4) After the motion referred to in sub-rule (2) has been carried, any member may move an amendment which

is either formal or consequential upon an amendment recommended in any provision of the Constitution by the Drafting Committee after the Constitution was referred to them under sub-rule (1) but shall not be allowed to move any other amendment.

(5) If notice of a proposed amendment has not been given two clear days before the day on which the motion referred to in sub-rule (2) is to be taken up for consideration, any member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail unless the President in his discretion allows the amendment to be moved.

(6) Notwithstanding anything in these rules, all the amendments recommended by the Drafting Committee, after the Constitution was referred to them under sub-rule (1), shall be deemed to have been moved, and it shall not be necessary for the President to put each of those amendments separately to vote.

(7) The provisions of sub-rules (2) and (3) of rule 38-P shall apply to every amendment of which notice has been given under sub-rule (5), and notwithstanding anything in these rules it shall be in the discretion of the President to disallow any amendment of which notice has been so given.

(8) The President shall allot not more than two days for the consideration by the Assembly of all amendments after the motion referred to in sub-rule (2) has been carried and shall, at the time appointed by him for the close of the sitting of the Assembly on the last of the allotted days, forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with those amendments, and in the case of amendments recommended by the Drafting Committee as such, he shall put only the question

[अध्यक्ष]

that the amendments so recommended be made or that the amendments so recommended as modified by any amendment or amendments adopted by the Assembly be made, as the case may be.

(9) For the purpose of bringing to a conclusion any proceedings relating to such amendments on the last of the allotted days, the President shall have power to select the amendments to be proposed.

Passing of the Constitution.

38-RR.(1) When the amendments to the Constitution referred to the Drafting Committee under sub-rule (1) of rule 38-R have been considered, any member may move that the Constitution as settled by the Assembly be passed and to a motion so made no further amendment shall be allowed to the moved.

(2) The President may fix a time-limit for speeches during the debate on a motion made under sub-rule (1).

(3) The President may in relation to any proceedings in connection with the passing of the Constitution under rule 38-R or this rule relax or suspend any of these rules.'

मसौदा-समिति द्वारा संविधान का पुनर्विलोकन और उसने जिस संशोधन की सिफारिश की हो उस पर विचार

[38-द (1) यह जब प्रस्ताव कि संविधान पर विचार किया जाये पारित हो गया हो और संविधान सम्बन्धी जो संशोधन उपस्थित किये गये हों उन पर विचार हो गया हो तब अध्यक्ष संविधान को, संशोधित रूप में नियम 38-द के उपनियम (1) में निर्दिष्ट मसौदा-समिति के पास भेजेगा और आदेश देगा कि आवश्यकतानुसार अनुच्छेदों, खंडों और उपखंडों की पुनर्गणना की जाय, विरामों को फिर से लगाया जाये और हाशिये के लेखों को दुहराया जाये और पूरा किया जाये और संविधान सम्बन्धी ऐसे रस्मी अथवा आनुषंगिक अथवा आवश्यक संशोधनों की सिफारिश की जाये।

(2) संविधान को मसौदा-समिति के पास भेजने के पश्चात् समिति के प्रतिवेदन को मसौदा-समिति का सभापति अथवा अन्य कोई सदस्य सभा में उपस्थित करेगा और तत्पश्चात् समिति का सभापति अथवा अन्य कोई सदस्य यह प्रस्ताव उपस्थित कर

सकता है कि उसके पास जो संविधान भेजा गया था उसके सम्बन्ध में समिति ने जिन संशोधनों की सिफारिश की है, उन पर विचार किया जाये:

परन्तु जब तक मसौदा-समिति का प्रतिवेदन तथा उसके साथ उसके दुहराये हुए संविधान की प्रतियां सदस्यों के उपयोग के लिये उपलब्ध न की जायें तब तक इस प्रकार का कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जायेगा और प्रस्ताव उपस्थित करने के दिन से पूरे पांच दिन पहले यदि यह प्रतिवेदन और संविधान की दुहराई हुई प्रतियां उपलब्ध न की जायें तो कोई भी सदस्य इस पर आपत्ति कर सकता है, और जब तक कि अध्यक्ष स्वविवेक से प्रस्ताव उपस्थित करने की आज्ञा न दे तब तक यह आपत्ति अभिभावी होगी।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट किसी प्रस्ताव को उपस्थित करते समय प्रस्तावक अपने को व्याख्यात्मक वक्तव्य तक ही सीमित रखेगा और इस अवसर पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा और अध्यक्ष, इस वक्तव्य के पश्चात् प्रस्ताव पर मत ले सकता है।

(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात्, कोई भी सदस्य किसी रस्मी संशोधन को अथवा किसी ऐसे संशोधन के आनुषंगिक संशोधन को उपस्थित कर सकता है जिसकी मसौदा-समिति ने उपनियम (1) के अधीन उसके पास संविधान भेजे जाने पर किसी उपबन्ध के सम्बन्ध में सिफारिश की हो, किन्तु उसे किसी अन्य संशोधन को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

(5) यदि किसी प्रस्तावित संशोधन की सूचना उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रस्ताव पर विचार करने के दिन के पूरे दो दिन पूर्व नहीं की गई हो तो कोई भी सदस्य उस संशोधन के उपस्थित किये जाने पर आपत्ति कर सकता है और जब तक अध्यक्ष स्वविवेक से संशोधन को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दे तब तक वह आपत्ति अभिभावी होगी।

(6) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी मसौदा-समिति ने, उसके पास उप-नियम (1) के अधीन संविधान के भेजे जाने के पश्चात्, जिन संशोधनों की सिफारिश की हो, वे सब उपस्थित किये गये समझे जायेंगे और अध्यक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह उन संशोधनों में से प्रत्येक संशोधन पर पृथक् मत ले।

(7) नियम 38-त के उपनियम (2) और (3) के उपबन्ध ऐसे प्रत्येक संशोधन को लागू होंगे जिसकी उपनियम (5) के अधीन

[अध्यक्ष]

सूचना दी गई हो और इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष स्वविवेक से किसी ऐसे संशोधन की आज्ञा नहीं दे सकता है जिसकी इस प्रकार सूचना दी गई हो।

(8) अध्यक्ष उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात्, सभी संशोधनों पर सभा के विचार करने के लिये दो दिन से अधिक नहीं देगा और दिये हुए दिनों में से अन्तिम दिन को सभा की बैठक समाप्त करने के लिये उसने जो समय निश्चित किया हो उस समय इन संशोधनों के सम्बन्ध में सभी रहे हुए प्रश्नों को निबटाने के लिए प्रत्येक प्रश्न पर मत लेगा और उन संशोधनों के सम्बन्ध में, जिनकी सिफारिश मसौदा-समिति ने की हो, वह केवल इस प्रश्न पर मत लेगा कि जिन संशोधनों की सिफारिश की गई है, उन्हें किया जाये अथवा, यथास्थिति, जिन संशोधनों की सिफारिश की गई है उन्हें सभा द्वारा स्वीकृत किसी संशोधन अथवा संशोधनों द्वारा परिवर्तित रूप में किया जाये।

(9) दिए हुए दिनों में से अन्तिम दिन को इन संशोधनों के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही को समाप्त करने के लिये अध्यक्ष को प्रस्तावित होने वाले संशोधनों को चुनने की शक्ति प्राप्त होगी।

38-दद संविधान का पारण

(1) जब नियम 38-द के उपनियम (1) के अधीन मसौदा-समिति को भेजे हुए संविधान-सम्बन्धी संशोधनों पर विचार हो गया हो तब कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है कि सभा ने संविधान को जिस रूप में निश्चित किया है उस रूप में वह पारित किया जाये और उस प्रकार उपस्थित किए हुए प्रस्ताव के सम्बन्ध में अन्य किसी संशोधन को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

(2) अध्यक्ष उपनियम (1) के अधीन उपस्थित किये हुए प्रस्ताव पर होने वाले वाद-विवाद में भाषणों के किये काल-सीमा निश्चित कर सकते हैं।

(3) अध्यक्ष नियम 38-द अथवा इस नियम के अधीन संविधान के पारण से सम्बन्धित किसी कार्यवाही के बारे में इन नियमों में से किसी को विस्तृत या निलम्बित कर सकता है।]"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

संविधान का मसौदा–(जारी)

प्रथम अनुसूची–(जारी)

***अध्यक्ष:** अब हम प्रथम अनुसूची को उठायेंगे। प्रथम अनुसूची के सम्बन्ध में बहुत से संशोधनों की सूचना दी गई है। इनमें से कुछ संशोधन उस अनुसूची के सम्बन्ध में हैं जो मूल मसौदे में दी हुई थीं और कुछ डॉ. अम्बेडकर ने कल जो प्रस्ताव उपस्थित किया था उसके सम्बन्ध में हैं। कठिनाई यह है कि वे इस समय के तथ्यों से असम्बद्ध हैं। उदाहरणार्थ इनमें से कुछ संशोधनों का उद्देश्य ऐसे प्रान्तों का नामकरण है जो आज अस्तित्व में नहीं हैं और जिनके बारे में हम कह नहीं सकते कि वे अस्तित्व में भी आयेंगे या नहीं। वास्तव में यदि इस संविधान में ऐसे प्रान्तों के नाम रहने दिये गये, जो अस्तित्व में नहीं हैं, और उन प्रान्तों के नाम न रखे गये जो आज अस्तित्व में हैं, और इस रूप में हमने उसे पारित किया, तो बहुत बड़ी कठिनाइयां उठ खड़ी होंगी और मैं यह नहीं सकता कि संविधान को कैसे प्रयोग में लाया जायेगा। संविधान के ढांचे को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उसे प्रयोग में लाना कठिन हो जायेगा। उदाहरणार्थ हम यह नहीं कर सकते कि किसी विधान-सभा का स्वरूप क्या होगा और वह विधान-सभा मद्रास की होगी, अथवा आन्ध्र देश की होगी, अथवा तमिलनाडु की होगी। संविधान के कई अन्य उपबन्धों के सम्बन्ध में भी यही कठिनाई उठ खड़ी होगी।

इसलिये माननीय सदस्यों के समक्ष मैं यह सुझाव रखता हूं कि इस अवसर पर, जब कि नये प्रान्तों के निर्माण के सम्बन्ध में, कोई निर्णय नहीं किया गया है, यह कोई समझदारी की बात नहीं होगी कि हम संविधान में ऐसे प्रान्तों के नाम रखें जिनके निर्माण के सम्बन्ध में, हम आगे चल कर प्रस्ताव रखेंगे, किन्तु जो इस समय अस्तित्व में नहीं हैं। इसी प्रकार ऐसे प्रान्तों के सम्बन्ध में भी जो अस्तित्व में हैं और जिनमें कुछ परिवर्तन करने के लिये कुछ संशोधनों की सूचना दी गई है अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हो सकती हैं।

वर्तमान प्रान्तों के कुछ क्षेत्रों को अन्य प्रान्तों में मिला देने के सम्बन्ध में भी कुछ संशोधन हैं। यदि हम संविधान को इसी रूप में पारित कर देंगे तो वे क्षेत्र अन्य प्रान्तों से स्वत: नहीं मिल जायेंगे। यदि हम संविधान में वर्णित राज्य-क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों को मिला देंगे जो उल्लिखित प्रान्तों में इस समय सम्मिलित नहीं है तो भी इसी प्रकार की कठिनाइयां उठ खड़ी होंगी।

इसलिये माननीय सदस्यों के सामने मैं यह सुझाव रखता हूं कि वे इस अवसर पर किसी संशोधन को उपस्थित न करें क्योंकि संविधान के पारित होने पर उसको प्रयोग में लाने में उससे कठिनाइयां उठ खड़ी होंगी। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी सन्देह नहीं है कि इस सभा में कुछ सदस्यों की, वास्तव में बहुत से सदस्यों की यह प्रबल इच्छा है कि कुछ नवीन प्रान्तों का निर्माण किया जाये अथवा प्रान्तों

[अध्यक्ष]

की सीमाएं बदली जायें किन्तु इन बातों को संविधान में समाविष्ट करने के पूर्व इन्हें पहले सम्पन्न कर लेना चाहिये। इसलिये उन माननीय सदस्यों से, जिन्होंने इन परिवर्तनों के सम्बन्ध में संशोधनों की सूचना दी है, मेरा यह निवेदन है कि वे वास्तविक स्थिति में परिवर्तन कर लें और फिर संविधान सभा से उन परिवर्तनों को संविधान में समाविष्ट करने को कहें। हमने नियमों में इस सम्बन्ध में उपबन्ध रखे हैं कि तृतीय पठन के अवसर पर जिस प्रकार के तथ्य होंगे उनके सम्बन्ध में संशोधन उपस्थित किये जा सकेंगे। यदि इस बीच कोई परिवर्तन हुए तो मसौदा-समिति अवश्य ही उनको ध्यान में रखेगी और सभा को उनके बारे में सूचना देगी। मुझे आशा है कि इस वक्तव्य के पश्चात् माननीय सदस्य इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करेंगे। यदि वे मुझ से सहमत हुए तो हम इन संशोधनों पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि यह भी सम्भव है कि अन्ततोगत्वा उनमें से बहुत से स्वीकार नहीं किये जायें। इस प्रकार सभा का कुछ समय भी बच जायेगा।

***श्री एच.वी. कामतः** वर्तमान प्रान्तों के नाम बदलने के सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि प्रान्तों के नाम बदलने का प्रत्येक प्रश्न प्रान्तीय सरकारों, विधान मंडलों, प्रान्तीय कांग्रेस समितियों तथा इस सभा में सम्बन्धित प्रान्तों के प्रतिनिधियों के निर्णय के लिये छोड़ दिया गया है।

***अध्यक्षः** मेरे विचार से केवल एक ही प्रान्त का नाम बदलने का प्रश्न है। उसके अतिरिक्त इस प्रकार का और कोई प्रश्न नहीं है।

***श्री एच.वी. कामतः** मध्य प्रान्त और बरार के सम्बन्ध में भी यह प्रश्न है।

***श्री महावीर त्यागीः** संयुक्त प्रान्त का नाम बदलने के सम्बन्ध में भी संशोधन है।

***अध्यक्षः** उड़ीसा का नाम उत्कल रखने के सम्बन्ध में भी संशोधन है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** सभा के समक्ष जो मसौदा है उसमें दिये हुए किसी राज्य का नाम बदलने के सम्बन्ध में हम एक सिद्धान्त का अनुसरण करते आये हैं। वह यह है कि यदि पर्याप्त सदस्यों ने नाम बदलने की इच्छा प्रकट की हो और उस बदले हुए नाम का समर्थन सम्बन्धित प्रान्त के प्रधान मंत्री ने किया हो तो हम उस नाम को संशोधित अनुसूची में रख देते हैं। मध्य प्रान्त का नाम इसी प्रकार बदला गया है। उड़ीसा के कई सदस्यों से भी एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। हमें इस प्रश्न को उड़ीसा के प्रधान मंत्री के सामने रखना होगा। यदि वे सहमत हो जायेंगे और यदि आप आज्ञा देंगे ओर सभा आज्ञा देगी तो हम दुहराई हुई साफ प्रति में यथोचित परिवर्तन करके उड़ीसा का नाम उत्कल रख देंगे। उस प्रति पर अगले सत्र में विचार किया जायेगा। नामों के जिन परिवर्तनों का समर्थन सम्बन्धित प्रान्तों के प्रधान मंत्रियों ने किया है उनके सम्बन्ध में हम इस सिद्धान्त का अनुसरण करते आये हैं.....

***श्री आर.के. सिधवा:** मेरे माननीय मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने जो सुझाव रखा है उस पर मुझे बहुत आपत्ति है.....

***अध्यक्ष:** उन्होंने केवल स्थिति स्पष्ट की है।

***श्री आर.के. सिधवा:** हमें द्वितीय सदनों के प्रश्न को इस सभा के सदस्यों के निर्णय के लिये छोड़ने का अनुभव है। बाद में चीख-पुकार की गई थी और कहा गया था कि प्रान्त में किसी से परामर्श नहीं किया गया और सम्बन्धित प्रान्तों के बहुत से लोगों ने यह विचार प्रकट किया कि बिना वहां के लोगों से पूछे हुए द्वितीय सदन को रखकर गलती की गई है। इससे कहीं अधिक महत्व के प्रश्न के सम्बन्ध में, अर्थात् नाम बदलने के प्रश्न के सम्बन्ध में, मैं यह सुझाव प्रस्तुत कर चुका हूं कि न केवल प्रधान-मंत्रियों को बल्कि सारे प्रान्तीय मंत्रिमंडल को और वहां के विधान मंडल के सदस्यों को अपना मत प्रकट करने का अवसर देना चाहिये। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। इस सभा में कोई भी सदस्य अपना सुझाव प्रस्तुत कर सकता है और प्रधान मंत्री भी अपना मत प्रकट कर सकता है। प्रधान मंत्री के मत का आदर करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी सम्भव है कि.....

***अध्यक्ष:** क्या मैं इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक उपाय बता सकता हूं? जिन प्रान्तों का नाम बदलने का प्रस्ताव है उनकी सरकारों के नाम संविधान सभा की ओर से मैं इन प्रस्तावों को भेजना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि उन पर वे अपना मत प्रकट करें। जब हमें उनका मत प्राप्त हो जायेगा तो, यदि आवश्यक हुआ तो, हम तृतीय पठन के अवसर पर भी परिवर्तन कर सकते हैं।

***माननीय सदस्य:** अच्छी बात है, श्रीमान।

***श्री एच.जे. खांडेकर** (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): मुझे हर्ष है कि आप प्रान्तीय सरकारों को आदेश दे रहे हैं और उनके सामने नामों का सुझाव रख रहे हैं। मेरा यह भी सुझाव है.....

***अध्यक्ष:** आप मेरा आशय नहीं समझ पाये हैं। मैं आदेश नहीं दे रहा हूं। यदि यहां कोई सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं तो मैं उन सुझावों को प्रान्तीय सरकारों के पास उनकी सम्मति के लिये भेज दूंगा।

***श्री एच.जे. खांडेकर:** श्रीमान, मेरा यह निवेदन है कि जिस प्रकार उत्तर सदन के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रान्तों के सदस्यों के मत पर विचार किया गया था उसी प्रकार इस प्रश्न के सम्बन्ध में भी उनके मत पर विचार किया जाये। मेरा अर्थ संविधान सभा के सदस्यों से है।

***अध्यक्ष:** ये सदस्य यहां उपस्थित हैं।

***श्री एच.जे. खांडेकर:** श्रीमान, मेरा भी अर्थ यही है। मैं यह चाहता हूं कि जिस प्रान्त का नाम बदला जाये वहां के संविधान सभा के सदस्यों की सम्मति ली जाये।

***अध्यक्ष:** वे यहां उपस्थित रहेंगे और अपना मत प्रकट कर सकेंगे।

***श्री एच.जे. खांडेकर:** धन्यवाद, श्रीमान।

***श्री एच.वी. कामत:** श्रीमान, क्या आप यह चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें?

***अध्यक्ष:** जी नहीं: बहुत से संशोधनों की सूचना दी गई है। जो संशोधन प्राप्त हो चुके हैं उन्हें मैं ध्यान में रखूंगा।

***श्री कुलधर चालिहा** (आसाम : जनरल): मैंने एक संशोधन की सूचना दी है जिसका आशय यह है कि "आसाम" शब्द के हिज्जे बदल दिये जायें क्योंकि उसका उच्चारण अंग्रेजी ढंग से किया जाता है। मैं चाहता हूं कि "आसाम" शब्द के स्थान पर "आसोम" शब्द रखा जाये।

***अध्यक्ष:** इस सम्बन्ध में भी मैं प्रान्तीय सरकार से परामर्श करूंगा। अब हमें कौन-सा कार्य करना है। क्या मैं अब संशोधनों को उठाऊं?

***माननीय सदस्य:** जी हां, श्रीमान।

***श्री गोकुल भाई भट्ट** (राजस्थान): सभापति जी, मैं खुलासा चाहता हूं, यह जो शिड्यूल आया है हमारे सामने, उसमें एक हिस्सा हिन्दुस्तान का ऐसा रह गया है, जिसका अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है और वह है सिरोही। तो इसके विषय में अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के कोई सदस्य कुछ खुलासा कर दें तो अच्छा होगा।

***अध्यक्ष:** इस सम्बन्ध में एक संशोधन है किन्तु मैं स्वयं नहीं जानता कि वास्तव में स्थिति क्या है।

***श्री के.एम. मुन्शी:** श्रीमान, मेरे माननीय मित्र श्री गोकुल भाई भट्ट ने जो कुछ कहा है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मैंने उपप्रधान मंत्री महोदय से पूछा था कि स्थिति क्या है। सिरोही के सम्बन्ध में अभी यह तय नहीं किया गया है कि वह किस प्रान्त के साथ मिलाया जायेगा। इस समय वहां का प्रशासन बम्बई की सरकार प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम के अधीन करती है।

***श्री जयनारायण व्यास** (राजस्थान): अध्यक्ष महोदय, मैं भाग 1 के अधीन दिये हुये लेख की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करता हूं, जिसमें बम्बई प्रान्त की परिभाषा की गई है। उस लेख की अन्तिम चार पंक्तियों में कहा गया है कि "कोई राज्य-क्षेत्र जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले उस प्रान्त की सरकार द्वारा प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1947 के अधीन प्रशासित किया जा रहा था।" इस लेख में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संविधान के प्रारम्भ के पूर्व उस प्रान्त द्वारा जो राज्य-क्षेत्र प्रशासित किया जा रहा था वह बम्बई प्रान्त में समाविष्ट किया जायेगा। इसका अर्थ यह है कि यदि सिरोही का बाल-शासक, अथवा शासक

की माता, अथवा वह शासक जिसका मामला बम्बई में विचाराधीन है, किसी प्रसंविदा पर हस्ताक्षर न भी करे तो उस दशा में भी सिरोही बम्बई प्रान्त में समाविष्ट कर दिया जायेगा। उस स्थिति में मैं श्री मुन्शी से प्रार्थना करूंगा कि ये पंक्तियां, अर्थात् यह कि "कोई राज्य-क्षेत्र जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले उस प्रान्त की सरकार द्वारा प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1947 के अधीन प्रशासित किया जा रहा था।" निकाल दिया जाये ताकि सिरोही के लोगों को इस सम्बन्ध में कोई शंका न हो कि सिरोही समाविष्ट किया गया है।

***अध्यक्ष:** यह केवल सिरोही के सम्बन्ध में ही नहीं है। यह अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी है।

***श्री जयनारायण व्यास:** यह सिरोही को भी लागू होगा और यह समझा जायेगा कि सिरोही को बिना किसी प्रसंविदा पर हस्ताक्षर हुए ही समाविष्ट कर लिया गया है। मैं केवल यही बताना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** उस दशा में हम अपवाद कर सकते हैं।

***श्री के.एम. मुन्शी:** मेरे माननीय मित्र श्री व्यास को यह समझना चाहिये कि इस पूरी अनुसूची का मसौदा वर्तमान स्थिति के आधार पर तैयार किया गया है। हम इस समय की स्थिति में फेरफार नहीं करना चाहते हैं। उद्देश्य यह भी नहीं है कि इस सम्बन्ध में कोई बदलाव नहीं किये जायें। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय बता चुके हैं, यदि आगे चल कर स्थिति में कुछ परिवर्तन हुए तो तृतीय पठन के अवसर पर उनका संविधान में उल्लेख कर दिया जायेगा। इस समय अनुसूची में जो कुछ कहा गया है वह स्पष्ट है और इसलिये इस अवसर पर सिरोही की चर्चा अप्रासंगिक है।

***श्री एच.वी. पातस्कर** (बम्बई : जनरल): मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सिरोही बम्बई का एक भाग है अथवा वह एक पृथक् राज्य है?

***श्री के.एम. मुन्शी:** मैं कह नहीं सकता। मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में अधिकृत रूप से कुछ नहीं कह सकता। जहां तक मुझे ज्ञात है वह केन्द्र को सौंप दिया गया है और केन्द्र ने उसे बम्बई सरकार को सौंप दिया है ताकि पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन उसका प्रशासन हो सके। यदि मैं कोई गलती कर रहा हूं तो वह ठीक कर दी जाये। मेरी अपनी यही धारणा है।

***श्री शंकरराव देव** (बम्बई : जनरल): श्रीमान, क्या यह आवश्यक नहीं है कि सभा को ठीक-ठीक स्थिति बताई जाये? कुछ सदस्यों की इस विषय में दिलचस्पी है और वे यह जानना चाहते हैं कि सिरोही बम्बई का एक भाग है अथवा प्रशासन के उद्देश्य से बम्बई को सौंपा गया है। क्या आप कृपा करके राज्य-मंत्रणालय से प्रार्थना करेंगे कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे।

***श्री के.एम. मुन्शी:** जी हां, मैं उससे प्रार्थना करूंगा।

***माननीय श्री के. सन्तानम्** (मद्रास: जनरल): क्या राज्य-मंत्रणालय को इसकी स्वतन्त्रता नहीं है कि वह 26 जनवरी तक समायोजन करे?

***श्री के.एम. मुन्शी:** श्री सन्तानम् ठीक कह रहे हैं। 26 जनवरी तक भारत सरकार को किसी राज्य के किसी भाग को किसी भी प्रान्त को सौंपने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है। विधि के अन्तर्गत यही स्थिति है। जहां तक वर्तमान अनुसूची का सम्बन्ध है वह 26 जनवरी से लागू होगी। उस तारीख तक किसी राज्य का कोई भाग यदि प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम के अधीन बम्बई प्रान्त को सौंप दिया गया हो तो वह बम्बई का अंग समझा जायेगा। जो क्षेत्र अन्य प्रान्तों को सौंपे जायेंगे वे उनके अंग होंगे। श्री शंकरराव देव ने पूछा है कि सिरोही की वर्तमान स्थिति क्या है। मैं समझता हूं कि उसकी स्थिति इसी प्रकार है।

***श्री शंकरराव देव:** मैं यह जानना चाहता हूं कि 26 जनवरी के पश्चात् उसकी क्या स्थिति होगी?

***श्री के.एम. मुन्शी:** इस सम्बन्ध में 26 जनवरी के लगभग निर्णय किया जायेगा।

***श्री शंकरराव देव:** हममें से कुछ सदस्य चाहते हैं कि आप राज्य मंत्रणालय से कहें कि हम जानना चाहते हैं कि सिरोही के सम्बन्ध में उसका क्या उद्देश्य है और वह किस योजना को कार्यान्वित करना चाहता है।

***श्री के.एम. मुन्शी:** मैं सम्बन्धित अधिकारियों को इस प्रार्थना की सूचना दे दूंगा।

***श्री सारंगधर दास** (उड़ीस : राज्य): श्रीमान, मेरे नाम से भी कुछ संशोधन है जो उस श्रेणी के संशोधन नहीं है जिन्हें उपस्थित करने के लिये आपने कहा है। यदि मुझे अवसर दिया जा सकता है तो मैं उन्हें उपस्थित करना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** मैं प्रत्येक संशोधन को उठाऊंगा और प्रत्येक सदस्य किसी भी संशोधन को उपस्थित कर सकेगा। पहला संशोधन श्री कुलाधार चालिहा का संशोधन संख्या 404 है– क्या आप उसे उपस्थित करना चाहते हैं?

***श्री कुलधर चालिहा:** जी हां, श्रीमान।

***अध्यक्ष:** यह सुझाव रखा गया है कि इन संशोधनों को प्रान्तीय सरकारों के पास भेज दिया जाये।

***श्री एच.वी. कामत:** वे रस्मी तौर से उपस्थित किये जायं और फिर प्रान्तीय सरकारों के पास भेजे जायें।

***श्री आर.के. सिधवा:** श्रीमान, इस सम्बन्ध में आप सभा से पूछ लें कि उसकी इच्छा क्या है?

***अध्यक्षः** मैंने केवल एक सुझाव रखा है किन्तु यदि सदस्य अपने संशोधनों को उपस्थित करना ही चाहते हैं तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता।

***श्री कुलधर चालिहाः** श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः

"सूची 15 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 380 में भाग 1 की मद 1 के स्थान पर यह रखा जाये।

'1. Asom' (आसोम)"

***अध्यक्षः** यदि कोई संशोधन उपस्थित कर दिया जाता है तो मुझे उसे किसी न किसी प्रकार निबटाना होता है। उस पर मत लेना होता है।

***श्री थिरुमल राव** (मद्रास : जनरल): आसाम का उच्चारण आसाम ही है। वे चाहते हैं कि उसके हिज्जे बदल कर उसे "आसोम" कहा जाये। यदि वे चाहें तो "आसाम" को "आसोम" कहें।

***अध्यक्षः** संशोधन संख्या 405 ।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** प्रत्येक संशोधन को पृथक् निबटाया जाये और उस पर मत लिया जाये।

***अध्यक्षः** मैं प्रत्येक संशोधन को पृथक् उठाऊंगा। श्री चालिहा यदि आप अपना संशोधन उपस्थित करना चाहते हैं तो मुझे उस पर मत लेना होगा।

***श्री कुलधर चालिहाः** श्रीमान, मैं केवल यह चाहता हूं कि उसे सरकार के पास भेजा जाये।

***अध्यक्षः** संशोधन संख्या 405 । श्री ब्रजेश्वर प्रसाद क्या आप उसे उपस्थित करना चाहते हैं?

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (बिहार : जनरल): जी हां, श्रीमान।

***श्री आर.के. सिधवाः** यदि वह उपस्थित कर दिया गया तो वह फिर सभा की सम्पत्ति हो जायेगा।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** जी हां, श्रीमान, यह मुझे विदित है। आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप उसे अस्वीकार करेंगे।

***अध्यक्षः** यदि आप चाहें तो आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं। वे यह खतरा उठाने के लिये तैयार हैं।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** प्रथम अनुसूची के सम्बन्ध में मेरे नाम से सात संशोधन हैं। मैं सूची 14 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 335, 340, 348, 356,

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

357 की ओर संकेत कर रहा हूं। सूची 17 में मेरे नाम से दो संशोधन, अर्थात् संशोधन संख्या 405 और 411 हैं। श्रीमान, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं संशोधन संख्या 358 उपस्थित करना चाहता हूं। एक प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाई है।

***अध्यक्ष:** जैसा कि मैं बता चुका हूं यदि आपका संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिसमें संविधान को प्रयोग में लाना असम्भव हो जायेगा। उसके फलस्वरूप हिन्दी-भाषी प्रदेशों का एक गुट बन जायेगा। उनका संविधान में किस प्रकार वर्णन किया जायेगा और उनका कौन-सा विधान-मंडल तथा राज्यपाल होगा? पांच राज्यों और प्रान्तों में इस समय पांच राज्यपाल हैं। आप अपने संशोधन द्वारा जिस राज्य का निर्माण करना चाहते हैं वहां कौन-सा विधान-मंडल कार्य करेगा? मैं बता चुका हूं कि यह कठिनाई उठ खड़ी होगी।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** मैंने यह विचार किया था कि आपने वे बातें भाषाओं पर आधृत प्रान्तों के सम्बन्ध में ही कही थी।

***अध्यक्ष:** जी नहीं। मैंने यह सुझाव सभा के सदस्यों के सामने शिष्टता के नाते रखा है अन्यथा मैं इन्हें अनियमित घोषित कर सकता हूं।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** श्रीमान, आपका कथन शिरोधार्य है।

***श्री एच.वी. कामत:** क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रान्तों के नाम बदलने के सम्बन्ध में जो संशोधन हैं उन सबको क्या आपका सचिवालय सम्बन्धित प्रान्तों को भेजेगा?

***अध्यक्ष:** जी हां, नाम बदलने के सम्बन्ध में जो संशोधन हैं वे सब उनके पास भेजे जायेंगे।

***श्री महावीर त्यागी:** क्या वे सब अनियमित घोषित कर दिये गये हैं?

***अध्यक्ष:** जी हां, वे सब संशोधन जो कुछ प्रान्तों को मिलाकर, अथवा कुछ प्रान्तों के भागों को उनसे पृथक् करके उन्हें अन्य प्रान्तों में मिलाकर नये प्रान्त बनाने के सम्बन्ध में हैं वे सब अनियमित घोषित कर दिये गये हैं। यदि किसी संशोधन के फलस्वरूप किसी वर्तमान प्रान्त की सीमा में परिवर्तन होता है तो वह अनियमित हैं क्योंकि वह वर्तमान स्थिति के अनुरूप नहीं है।

***पंडित बालकृष्ण शर्मा** (संयुक्त प्रान्त : जनरल): एक संशोधन मध्य भारत के एक सदस्य के नाम से था। उस समय यह कहा गया था कि डॉ. अम्बेडकर उसे स्वीकार करने के लिये तैयार हैं।

***अध्यक्ष:** वह परिवर्तन हो जाने दीजिये तभी हम उस प्रश्न को उठायेंगे।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** क्या मैं संशोधन संख्या 406 उपस्थित कर सकता हूं जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया है कि संयुक्त प्रान्त का नाम बलवर्त, आर्यावर्त, हिन्द अथवा बृज-साकेत रखा जाये?

***अध्यक्ष:** नामों के सम्बन्ध में सभी संशोधन प्रान्तीय सरकारों के पास उनकी सम्मति जानने के लिये भेजे जायेंगे। इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप अपना संशोधन उपस्थित करें। राज्य-क्षेत्रों के परिवर्तन के सम्बन्ध में सभी संशोधनों को निबटाने के पश्चात् मेरे विचार से अब और कोई संशोधन नहीं रह जाता।

***श्री सारंगधर दास:** श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे संशोधन के सम्बन्ध में आपका निर्णय क्या है?

***अध्यक्ष:** मैंने उसे अनियमित घोषित किया है क्योंकि उसका उद्देश्य यह है कि एक प्रान्त से कुछ राज्य-क्षेत्र पृथक् करके दूसरे प्रान्त के साथ मिला दिये जायें।

***श्री सारंगधर दास:** श्रीमान, वह एक प्रान्त से राज्य-क्षेत्र पृथक् करके दूसरे प्रान्त में मिलाने के सम्बन्ध में नहीं है। वह लोगों की इच्छा ज्ञात करने के सम्बन्ध में है जिसके फलस्वरूप किसी प्रान्त का कुछ भाग पृथक् करके दूसरे प्रान्त के साथ मिला दिया जायेगा अथवा नहीं मिलाया जायेगा। मैं इस सम्बन्ध में तर्क उपस्थित कर सकता हूं।

***अध्यक्ष:** यह संविधान का अंग नहीं हो सकता। यह प्रस्ताव विधान-सभा में उपस्थित किया जा सकता है। आप उसे विधान सभा के समक्ष रख सकते हैं। यदि आपको वहां सफलता प्राप्त हुई और यह परिवर्तन हो गया तो यह संविधान का अंग हो जायेगा।

***श्री ए. थानू पिल्ले** (संयुक्त राज्य-तिरुवांकुर और कोचीन): अनुच्छेद 3 में इस प्रकार के मामलों के सम्बन्ध में उपबन्ध हैं।

***अध्यक्ष:** जी हां, यह बताने के लिये मैं आपका आभारी हूं।

***श्री युधिष्ठिर मिश्र** (उड़ीसा राज्य): जिन संशोधनों की सूचना दी गई है उनमें से कुछ विभिन्न प्रान्तों की सीमाओं को बदलने के सम्बन्ध में हैं। किन्तु राज्यों के सम्बन्ध में मेरे विचार से आपको स्मरण होगा कि पिछली जनवरी को हमने भारत शासन अधिनियम, 1935, को संशोधित किया था और उसमें एक नवीन धारा अर्थात् धारा 290-क, रखी थी। उस धारा के अधीन ही प्रशासन के प्रयोजन के लिये ये राज्य निकटवर्ती प्रान्तों को सौंपे गये हैं। मेरा निवेदन है कि वे वैध रूप से उन प्रान्तों के अंग नहीं हैं बल्कि प्रशासन के उद्देश्य से उन्हें सौंपे गये हैं। इसलिये मेरा संशोधन संख्या 390 अनियमित नहीं घोषित किया जा सकता।

***अध्यक्ष:** मैंने इस आधार पर निर्णय किया है कि हम अनुसूची को संशोधित करके वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते। संविधान में हम केवल उन बातों को रख रहे हैं जो आज अस्तित्व में हैं और उन सब बातों को नहीं रख

[अध्यक्ष]

रहे हैं जिन्हें हम चाहते हैं, अथवा जो बाद में अस्तित्व में आयेंगी। इसलिये मैं यह कहूंगा कि ये संशोधन अनियमित हैं क्योंकि इनका उद्देश्य राज्य-क्षेत्रों में परिवर्तन करना है।

***श्री सारंगधर दास:** सरायकेला का क्या होगा?

***अध्यक्ष:** इसकी स्वतन्त्रता है कि 26 जनवरी से पहले दूसरा निर्णय कर लिया जाय।

***श्री सारंगधर दास:** श्री जयनारायण व्यास ने सिरोही के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में श्री मुन्शी ने बताया था कि उपप्रधान मन्त्री महोदय क्या करना चाहते हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि मेरे संशोधन पर कोई वक्तव्य दिया जाये क्योंकि मेरी यह धारणा है कि ये दो राज्य लोगों की तथा नरेशों की इच्छा न होते हुये भी बिहार में मिला दिये गये थे। यह उस करार की प्रस्तावना के विरुद्ध है। जो नरेशों ने भारत सरकार के साथ किया था। पिछली मई को जब वे बिहार में समाविष्ट किये गये थे तो सरायकेला के नरेश ने राज्य-मंत्रणालय द्वारा नियुक्त अधिकारी से कहा था कि सरायकेला को प्रशासन की सुविधा के लिये अस्थाई रूप से समाविष्ट किया जा रहा है और संविधान को अन्तिम रूप से पारित करने के पूर्व लोगों की तथा नरेशों की इच्छा ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी कारण मैंने इस उपबन्ध का प्रस्ताव रखा है। यदि राज्य-मंत्रणालय इस आशय का वक्तव्य निकाले कि ये राज्य स्थाई रूप से बिहार में समाविष्ट कर दिये गये हैं, अथवा एक सीमा-आयोग इस प्रश्न पर विचार करेगा, अथवा लोगों की इच्छा जानने के लिये कोई अन्य उपाय निकाला जायेगा तो मुझे संतोष हो जायेगा और मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा।

***अध्यक्ष:** मुझे विश्वास है कि राज्य-मंत्रणालय ने हाल में यह विज्ञप्ति निकाली थी कि वह उसी निर्णय को रहने देगा जो उसने पहले किया था। मेरे विचार से उसने इस आशय की एक विज्ञप्ति निकाली थी और वह हाल में प्रकाशित भी हुई थी।

***श्री युधिष्ठिर मिश्र:** जहां तक हम समाविष्ट राज्यों के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है हम इस सभा में उनका प्रतिनिधित्व करने आये हैं। आप संविधान में समाविष्ट राज्यों के सम्बन्ध में उपबन्ध रखने जा रहे हैं। यदि इस अवसर पर हम समाविष्ट राज्यों के प्रतिनिधि अपनी बात नहीं कहेंगे तो हम यहां आये किसलिये हैं? मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर वाद-विवाद समाप्त कर देना उचित नहीं है।

***अध्यक्ष:** मैं जो निर्णय सुना चुका हूं उसे नहीं बदल सकता।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** श्रीमान, भाग 3 के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है।

***अध्यक्ष:** क्या भाग 3 के बारे में?

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** श्रीमान, हमने राजस्थान और सौराष्ट्र के राज्यों की परिभाषा की है और कहा है कि सौराष्ट्र के विषय में वे राज्य-क्षेत्र भी समाविष्ट

होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले काठियावाड़ से संयुक्त राज्य में थे और जो राज्य-क्षेत्र ऐसे प्रारम्भ से पूर्व तत्स्थानी देशों राज्य की सरकार द्वारा प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अधीन प्रशासित थे। जहां हमने राज्यों के नाम लिखे हैं वहां जम्मू और कश्मीर का नाम भी लिखा है। मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि इस स्थल पर यह लिख दिया जाय कि जम्मू और कश्मीर के विषय में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा जो 15 अगस्त 1947 के ठीक पूर्व अस्तित्व में था और जिस पर उस तिथि को जम्मू और कश्मीर के महाराजा प्रशासन करते थे। श्रीमान, इसकी आवश्यकता है क्योंकि हम सबको विदित है कि इस समय एक युद्ध विराम पंक्ति बनाई गई है और उस क्षेत्र का एक भाग आक्रमणकारियों के हाथ में है।

***अध्यक्ष:** यह एक राजनैतिक प्रश्न है और इसे हम इस सभा के एक प्रस्ताव से हल नहीं कर सकते।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** तब जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या होगी? उसका कौन-सा राज्य-क्षेत्र होगा?

***अध्यक्ष:** इस समय हमारे हाथ में जो कुछ है वह है ही और आगे चल कर हमें यदि कुछ अधिक प्राप्त हो जायेगा तो हमारा अधिक क्षेत्र पर अधिकार हो जायेगा।

मेरे विचार से अब और कोई संशोधन नहीं है। यदि कोई सदस्य संशोधनों पर बोलना चाहते हैं तो वे बोल सकते हैं।

***माननीय श्री एन.वी. गाडगिल** (बम्बई : जनरल): श्रीमान, मेरे विचार से महाराष्ट्र के हम कुछ लोगों का यह कर्तव्य है कि इस अवसर पर हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें। कार्यकारिणी समिति ने हाल में जो प्रस्ताव स्वीकार किया था वह यद्यपि बहुत सहायक है किन्तु उससे अधिक पथप्रदर्शन नहीं होता क्योंकि इस समय जब कि संघीय संविधान का निर्माण हो रहा है, उचित यह था कि संघांगों की सीमाओं को निश्चित करने के लिये कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये जाते। साथ ही मैं यह भी अनुभव करता हूं कि यह समय बहुत अनकल समय नहीं है। मैं हमेशा यह कहता आया हूं कि यह प्रश्न समझदारी से, समझौते से तथा सद्भावना के वातावरण में हल किया जाना चाहिये। मैं इसका अनुभव करता हूं और आपने जो समिति नियुक्त की थी उसके समक्ष बोलते हुये मैंने कहा था कि इस प्रश्न पर विचार-विमर्श पांच वर्ष के लिये स्थगित कर देना चाहिये। मैं यह पहली बार नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि क्या कठिनाइयां हैं। मैं यह केवल संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण के सम्बन्ध में ही नहीं कहता हूं बल्कि अन्य प्रान्तों के सम्बन्ध में भी कहता हूं। मुझे यह कहने का साहस इस कारण भी हो रहा है कि मैं देखता हूं कि वर्तमान खण्ड (2) से, उसके संशेधित रूप में, वास्तव में कुछ सुविधा हो गई है। आरम्भ में बहुत ही पेचीदी प्रथा रखी गई थी किन्तु अब किसी प्रान्त की सीमा निश्चित करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार का विधेयक संविधान को संशोधित करने वाला विधेयक नहीं समझा जायेगा अब स्थिति यह है कि इसके लिये संविधान में ही साधन उपलब्ध हैं। इसलिये प्रान्तों के निर्माण के सम्बन्ध में इस समय किन्हीं प्रश्नों को उठाने

[माननीय श्री एन.वी. गाडगिल]

की आवश्यकता नहीं है और डॉ. अम्बेडकर ने जिस अनुसूची को प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता था।

मैं एक सुझाव और प्रस्तुत करना चाहता हूं। यदि आप नामों का हिन्दीकरण चाहते हैं तो केवल कुछ प्रदेशों के नामों का ही जैसे कौशल, विदर्भ आदि का हिन्दीकरण न करिये। आप बम्बई को 'पश्चिम भारत'... और मद्रास को 'दक्षिण देश', कह सकते हैं, इत्यादि। यदि आप हिन्दीकरण चाहते हैं तो सभी नामों का, न कि कुछ नामों का, हिन्दीकरण कीजिये। कृपा करके मसौदा-समिति मेरे इस सुझाव को ध्यान में रखे। अन्यथा अनेक प्रकार की पेचीदगियां पैदा हो जायेंगी और जो लोग कुछ ही नामों का हिन्दीकरण चाहते हैं उनके प्रयास से हितसाधन न होकर हितहानि होगी। इसलिये मसौदा-समिति के सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इसे ध्यान में रखा जाय।

मेरे विचार से उचित यह होगा कि नवीन संविधान जब प्रयोग में आ जाये तभी सीमाओं को बदलने अथवा ठीक करने के प्रश्न पर विचार किया जाये। वास्तव में उसे हल करने में तभी सफलता भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि उस समय उन्हें निर्वाचकों से इसके लिये अधिकार भी प्राप्त रहेगा। जिन लोगों की यह धारणा है कि इस प्रश्न का एक विशेष हल ही उसका एकमात्र हल है उन्हें यह समझाना चाहिये और यह विश्वास दिलाना चाहिये कि इसका एक भिन्न हल भी है जिसके देश का अधिक हितसाधन हो सकता है। इसलिये इन सब बातों पर विचार करने के पश्चात् मेरा निवेदन है कि इस पूरे प्रश्न को इस समय स्थगित रखा जाये और यह अनुसूची जिस रूप में प्रस्तावित हुई है उस रूप में इसे स्वीकार कर लिया जाये और नामों के परिवर्तन के सम्बन्ध में मैंने जो सुझाव रखा है वह भी स्वीकार कर लिया जाये।

***श्री जयनारायण व्यास:** अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय शिरोधार्य है किन्तु मैं सिरोही के सम्बन्ध में दो साधारण बातें कहना चाहता हूं। एक बात यह है कि संविधान की दृष्टि से सिरोही इस समय 'शासन-विहीन भूमि' है। यह राज्य क्षेत्र न तो प्रथम अनुसूची के भाग 1 के अन्तर्गत आता है और न भाग 2 अथवा भाग 3 के अन्तर्गत आता है। मेरे विचार से मेरे विद्वान मित्र श्री मुन्शी इस विषय पर घोषणा करने के लिये राज्य-मंत्रणालय से कहने वाले हैं। मुझे आशा है कि यह घोषणा की जायगी। दूसरी बात यह है कि डॉ. अम्बेडकर ने अधिकृत रूप से जो दूसरा संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें बम्बई प्रेसीडेंसी की ऐसी परिभाषा की गई है कि उसमें सिरोही सम्मिलित हो जाता है। प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1947 को बम्बई को लागू करने का अर्थ यह है कि सिरोही ही सम्मिलित किया जा रहा है और कोई क्षेत्र नहीं सम्मिलित किया जा रहा है। इसलिये मुझे आशा है कि उस घोषणा में राज्य-मंत्रणालय, बम्बई की परिभाषा के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट करेगा। अन्यथा सिरोही तथा राजपूताने के निवासी तथा सारे देश के लोग भी यही समझेंगे कि बिना यथोचित रस्मों को पूरा किये हुए सिरोही को चुपचाप बम्बई में समाविष्ट कर दिया जा रहा है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता था।

***श्री युधिष्ठिर मिश्र:** श्रीमान, डॉ. अम्बेडकर ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसके अनुसार ऐसे राज्य, जिनके शासकों ने उनके सम्बन्ध में अपने क्षेत्राधिकार

तथा शक्तियों को केन्द्रीय सरकार को सौंप दिया है, प्रान्तों में समाविष्ट कर दिये गये हैं। पिछली जनवरी को भारत शासन अधिनियम, 1935 संशोधित किया गया और केन्द्रीय सरकार को प्रशासन के लिये इन राज्यों को किसी प्रान्त को सौंप देने की शक्ति दी गई। अनुच्छेद 290-क के उपबन्धों के अनुसार यद्यपि प्रशासन के लिये इन राज्यों को प्रान्तों में समाविष्ट कर दिया गया है किन्तु विधि का सहारा लेकर इन राज्यों के अस्तित्व को अब भी बनाये रखा जा रहा है। इसलिये मैं मसौदा-समिति ने यह स्पष्ट कराना चाहता हूं कि इस मसौदे में भी क्या पुरानी ही स्थिति बनाई रखी गई है अथवा अब वह स्थिति नहीं है।

श्रीमान, जब 14 दिसम्बर, 1948 को सरदार पटेल कटक गये थे तो उड़ीसा राज्यों के शासकों ने भारत सरकार से एक करार किया था और उस करार की प्रस्तावना में इन शासकों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रशासन के लिये उनके राज्यों को उड़ीसा प्रान्त को सौंप दिया जाये। सरायकेला के राजा ने जो करार किया था उसके शब्द मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। "चूंकि राज्य के तथा उसके लोगों के तात्कालिक हितों को दृष्टि में रखते हुये सरायकेला के राजा की यह इच्छा है कि राज्य का प्रशासन उड़ीसा प्रान्त के प्रशासन में यथाशीघ्र उस प्रकार समाविष्ट किया जाये जिस प्रकार भारत सरकार उसे समाविष्ट करना चाहे....." अब मसौदा-समिति ने जो संशोधन उपस्थित किया है उससे इस करार का खण्डन होता है। मैं मसौदा-समिति से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर विचार करे।

श्रीमान, मैं और श्री सारंगधर दास उड़ीसा राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिये इस सम्बन्ध में हमारा विशेष उत्तरदायित्व है। सरायकेला और खरसवां इन दो राज्यों ने हमें अपना प्रतिनिधि चुना है। मेरे विचार से हमारे लिये उचित यही है कि हम सभा को संक्षेप में सूचित करें कि इन राज्यों की क्या इच्छा है। बहुत प्राचीन काल से इन दो राज्यों के लोगों के उड़ीसा प्रान्त के लोगों से सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं। भाषा तथा जाति की दृष्टि से भी वे उनके निकट सम्बन्धी हैं। उत्कल विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार इन दो राज्यों तक भी है, यद्यपि वह कटक में स्थित है। इन दो राज्यों के न्यायालयों की भाषा उड़िया है और अभी हाल तक वहां के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा उड़िया के माध्यम से ही जाती थी। प्रशासन तथा राजनीति के प्रयोजनों के लिये भी 1948 के पूर्व ये दो राज्य उड़ीसा राज्य-समूह में सम्मिलित किये जाते थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सरायकेला तथा खरसवां सहित उड़ीसा राज्यों के एकीकरण का आन्दोलन उड़ीसा में, उड़ीसा के नेताओं के नेतृत्व में, आरम्भ हुआ था।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** इस मामले को राज्य-मंत्रणालय अन्तिम रूप से निबटा चुका है और जो परिपत्र निकाला गया था उसमें यह उल्लिखित था कि प्रान्तों की सीमाओं को फिर से निश्चित किया गया है। अब एक प्रान्त से कोई राज्य-क्षेत्र हटा कर दूसरे प्रान्त में नहीं मिलाया जा सकता। मेरे विचार से माननीय सदस्य महोदय अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं।

***श्री युधिष्ठिर मिश्रः** कम से कम इस सभा के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इसका राज्य-मंत्रणालय से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये मुझे इस सभा में अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। श्रीमान, यदि आप यह कहते हैं कि मुझे यह अधिकार नहीं प्राप्त है तो मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ जाऊंगा।

***अध्यक्ष:** मैं यह बताना चाहता हूं कि आप जिन विचारों को यहां व्यक्त करना चाहते हैं उनका कहीं भी कोई प्रभाव नहीं होगा। यह सभा उड़ीसा की सीमाओं को नहीं बदल सकती।

***श्री युधिष्ठिर मिश्र:** यदि आप मुझे अपने विचार व्यक्त करने देंगे तो कम से कम मुझे यह संतोष हो जायेगा कि एक लोक-प्रतिनिधि के नाते मैंने लोगों के विचार सभा के सामने रख दिये हैं। इसी प्रकार इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिये मैंने आपकी आज्ञा मांगी थी।

श्रीमान, उड़ीसा राज्यों में ही सबसे पहले छोटे-छोटे राज्यों को प्रान्तों में समाविष्ट करने का प्रश्न उठाया गया था और उन्हीं राज्यों में यह विचार परिपक्व हुआ था। जब माननीय सरदार पटेल कटक गये थे तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिषद् ने उनको प्रादेशिक परिषद् तथा विभिन्न प्रजा मण्डलों के द्वारा बताया था कि वहां के लोगों की क्या इच्छा है और तदन्तर उन्होंने वहां के राज्यों के शासकों से एक करार किया था। यह आपको विदित ही है कि जनवरी 1948 में ये दो राज्य उड़ीसा के प्रान्त को सौंपे गये थे। दुर्भाग्य से कुछ घटनाओं के कारण इन राज्यों में गोलियां चलानी पड़ीं जिसके फलस्वरूप इन दो राज्यों को बिहार को सौंप दिया गया। इसके पूर्व इस प्रश्न पर बिहार और उड़ीसा में बड़ी तनातनी रही और भारत सरकार ने एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति की घोषणा की जिसके सभापति बम्बई के उच्च न्यायालय के एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश थे, और उसे इन दो राज्यों की भाषा, संस्कृति तथा प्रशासन-सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में लोगों की इच्छाओं का पता लगाने का कार्य सौंपा। आशा यह की जाती थी कि न्यायाधिकरण इस प्रश्न को न्यायोचित ढंग से हल करेगा। किन्तु इन राज्यों के लोगों को यह जान कर बहुत आश्चर्य हुआ कि इन दो राज्यों को बिहार के साथ मिला दिया गया है और इस प्रकार वहां के लोगों को स्वयं निर्णय करने के अधिकार से वंचित किया गया है। उस समय यह ज्ञात हुआ था सरायकेला के राजा यह चाहते थे कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता और उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक प्रशासन के लिये अस्थाई रूप से उनका राज्य बिहार सरकार को सौंप दिया जाये।

श्रीमान, 1948 में जब संविधान सभा (विधाई) में मैंने एक प्रश्न पूछा था तो.....

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** माननीय सदस्य महोदय को उत्तर देने के लिये मुझे समय नहीं मिलेगा। मैं सरायकेला के महाराजा से मिला था और उन्होंने मुझ से कहा था कि वे सरायकेला को बिहार में समाविष्ट करना चाहते हैं।

***श्री युधिष्ठिर मिश्र:** सरायकेला के महाराजा ने राज्य-मंत्रणालय के पास जो आवेदन पत्र भेजा है उसे माननीय सदस्य महोदय पढ़ें। 1948 में सरदार पटेल ने कृपा करके मुझे यह उत्तर दिया था कि सरायकेला और खरसवां के प्रशासन को बिहार को थोड़े समय के लिये ही सौंपा जा रहा है। श्रीमान, मैंने देखा कि पिछले अगस्त में ये राज्य भारत शासन अधिनियम की धारा 290-क के अधीन बिहार को स्थाई रूप से सौंप दिये गये। यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि इन राज्यों के लोगों की क्या इच्छा है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** यह एक गलत बयान है।

***श्री युधिष्ठिर मिश्रः** जहां तक वहां के लोगों का सम्बन्ध है उनसे कुछ नहीं पूछा गया। यदि, जैसा कि मेरे मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद करते हैं, यह एक बलत बयान है तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि इन राज्यों के लोगों की इच्छा का पता लगाने के लिये जनमत-संग्रह किया जाये। यदि वे इस चुनौती को स्वीकार करते हैं तो मैं इस समय सभा के समक्ष जो कुछ कह रहा हूं उस पर जोर नहीं दूंगा।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** माननीय सदस्य सरदार पटेल को लिखें और उनसे इस प्रश्न को फिर उठाने के लिये कहें।

***श्री युधिष्ठिर मिश्रः** मेरे मित्र एक भिन्न प्रश्न उठा रहे हैं।

***अध्यक्षः** मैं नहीं चाहता कि यहां चुनौतियां दी जायें और स्वीकार की जायें।

***श्री युधिष्ठिर मिश्रः** राज्य-मंत्रणालय ने इन राज्यों को बिहार को सौंपने का एकमात्र कारण यह बताया है कि यदि ये राज्य उड़ीसा को सौंपे जायेंगे तो प्रशासन सम्बन्धी असुविधा उत्पन्न हो जायेगी। श्रीमान जब मयूरभंज का राज्य उड़ीसा में समाविष्ट किया गया था तो उस समय यह असुविधा उत्पन्न नहीं हुई थी। इसलिये राज्य-मंत्रणालय ने जिस कारण से इन राज्यों को बिहार को सौंपा है वह निराधार है।

मैं एक-दो बातें और कह के अपनी जगह पर चला जाना चाहता हूं। इन दो राज्यों के सम्बन्ध में जो कदम उठाया गया है वह न तो उचित अथवा न्यायोचित है और न वैध ही है। मैं चाहता हूं कि प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके उनकी स्थिति में परिवर्तन किया जाये। मेरा निवेदन है कि मेरी इन बातों पर विचार किया जाये और इन दो राज्यों के भविष्य के सम्बन्ध में लोगों की इच्छानुसार निर्णय किया जाये।

(श्री चदुबंस सहाय बोलने के लिये उठे)

***श्री एच.वी. पातस्करः** मैं कुछ ही मिनटों में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं कल जा रहा हूं।

***अध्यक्षः** क्या हम कल बैठक कर रहे हैं?

***माननीय श्री सत्यनारायण सिन्हा** (बिहार : जनरल): श्रीमान आज अपराह्न में तो नहीं कर रहे हैं।

***अध्यक्षः** (श्री जदुबंस सहाय से) अधिक समय न लीजियेगा।

***श्री जदुबंस सहाय** (बिहार : जनरल): श्रीमान, उड़ीसा के मेरे माननीय मित्र ने अभी जो बातें कही हैं उनके कारण ही मुझे इस सामान्य वाद-विवाद में भाग लेना पड़ रहा है अन्यथा मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं विवरण नहीं देना चाहता

[श्री जदुबंस सहाय]

किन्तु अपने उड़ीसा के मित्रों से तथा अन्य मित्रों से भी इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यह मामला अन्तिम रूप से तय किया जा चुका है। प्रत्येक प्रश्न का आखिर कोई अन्तिम हल भी होना ही चाहिये। यदि उड़ीसा और बिहार के मित्र इस प्रश्न को लेकर विवाद करते रहे यद्यपि राज्य-मंत्री महोदय इसे अन्तिम रूप से तय कर चुके हैं, तो दोनों प्रान्तों के बहुत कटु सम्बन्ध हो जायेंगे। बिहार में हम लोग इस प्रश्न के अन्तिम रूप से हल किये जाने पर यह आशा करते हैं कि दो प्रान्तों के बीच पारस्परिक सद्भाव की अभिवृद्धि होगी क्यों कि यह न केवल दोनों प्रान्तों के कल्याण के लिये आवश्यक है बल्कि सारे देश के हितसाधन के लिये भी आवश्यक है। इसलिये श्रीमान, श्री युधिष्ठिर मिश्र ने अपने भाषण में जिस प्रश्न को उठाया है वह वास्तव में इस सभा में नहीं उठाया जाना चाहिये था।

प्रश्न वास्तव में यह है कि क्या सरायकेला और खरसवां की बिहार में समाविष्टि के विषय को फिर से उठाया जाये या नहीं। माननीय सरदार पटेल कटक गये, उन्होंने सब कुछ देखा तथा एक अधिकारी को नियुक्त किया और सरायकेला के राजा ने जिस प्रसंविदा पर हस्ताक्षर किये थे उसे भी देखा। इन सब बातों पर विचार करके सरदार पटेल के सुयोग्य पथप्रदर्शन से राज्य-मंत्रणालय ने यह अन्तिम निर्णय किया है कि सरायकेला तथा खरसवां के दो देशी राज्य बिहार में ही स्थाई रूप से समाविष्ट रहें। अब इस विषय को फिर उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रश्न को फिर उठाने से दोनों प्रान्तों में से किसी का भी हितसाधन नहीं होगा। इसलिये उड़ीसा के अपने मित्रों से मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को उठाने से इन दो प्रान्तों की प्रशंसा नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त उड़ीसा से प्रोत्साहन पाने पर सरायकेला के महाराजा ने, जो एक असंतुष्ट व्यक्ति हैं, ऐसे कारणों से, जो बिहार सरकार के नियंत्रण के बाहर थे, संविधान-सभा के सदस्यों को एक पुस्तिका की प्रतियां दी हैं। हमने यह समझा था कि उड़ीसा में आखिर लोग समझदारी से काम लेंगे किन्तु यदि उड़ीसा के राजनीतिज्ञ ही इस प्रकार के आन्दोलन को प्रोत्साहित करेंगे तो उससे न तो उड़ीसा का और न बिहार का हितसाधन होगा। उन्हें हमें सरायकेला के आदिवासियों की तथा अन्य लोगों की भी स्थिति में सुधार करने के लिये कुछ समय देना चाहिये। इन दो राज्यों के लोगों की आर्थिक स्थिति तथा शिक्षा-सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने के लिये बिहार सरकार पूरी शक्ति लगा कर प्रयास कर रही है। यदि यह विवाद चलता रहा तो वह सरायकेला तथा खरसवां के राज्यों के लिये बहुत हानिकर सिद्ध होगा। इसलिये श्री युधिष्ठिर मिश्र की बातों का जवाब न देकर मैं उड़ीसा के अपने मित्रों से फिर अपील करता हूं कि वे दो प्रान्तों के बीच सद्भावना स्थापित करने में हमारी सहायता करें और जिस प्रश्न को राज्य-मंत्री महोदय ने अन्तिम रूप से हल कर दिया है उसे फिर नहीं उठायें।

***श्री एच.वी. पातस्कर:** अध्यक्ष महोदय, इस अनुसूची के सम्बन्ध में मेरे नाम से कई संशोधन थे किन्तु मैंने यह विचार किया, और यह ठीक ही विचार किया, कि उनको उपस्थित करने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे नाम से संशोधन संख्या 324 भी है जिसका उद्देश्य यह है कि महाराष्ट्र के नवीन राज्य के निर्माण के लिये एक अनुच्छेद, अर्थात् अनुच्छेद 3-क, रखा जाये किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से

विचार करने पर मैंने उसे भी उपस्थित नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि वह स्वीकार नहीं किया जायेगा। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने इस प्रश्न पर विचार-विमर्श कार्यकारिणी समिति के एक प्रस्ताव के कारण स्थगित किया है जिसके फलस्वरूप उन प्रान्तों को स्थापित किया जा सकेगा जिनके बारे में श्रीमान, कुछ समय पूर्व एक आयोग नियुक्त करके आपने जांच करवाई थी।

जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है कार्यकारिणी समिति के उस प्रस्ताव में कहा गया है कि तीन आदमियों की समिति, अर्थात् जे.वी.वी. समिति के प्रतिवेदन की शर्तों के अधीन रहते हुए महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की जायेगी। उस प्रतिवेदन में कहा गया है कि किसी भी दशा में बम्बई का नगर महाराष्ट्र राज्य में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इस समय मैं कोई विवाद खड़ा करना नहीं चाहता। मैं केवल यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बम्बई नगर के बिना महाराष्ट्र राज्य वहां के लोगों को कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। इसी व्यावहारिक दृष्टि से मैंने अपना संशोधन संख्या 324 उपस्थित नहीं किया। अच्छा यह होगा कि हम उस समय तक प्रतीक्षा करें जब कि वे लोग जो इस समय अविश्वास और सन्देह होने के कारण तथा अन्य कई कारणों से भी, बम्बई को महाराष्ट्र से हटाना चाहते हैं, पारस्परिक समझौते और सहयोग के फलस्वरूप बम्बई को अपनी पहली प्राकृतिक जगह, अर्थात् महाराष्ट्र में रहने देने के लिये सहमत हो जायेंगे। हम केवल महाराष्ट्रियों के हितसाधन के लिये नहीं बल्कि सारे देश के हितसाधन के लिये महाराष्ट्र की मांग करते हैं। इसमें प्रान्तीयता की कोई बात नहीं है। इसलिये जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है मैं यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं अपना संशोधन संख्या 324 केवल इस कारण नहीं उपस्थित कर रहा हूं कि मैं देखता हूं कि वर्तमान स्थिति में महाराष्ट्र प्रान्त को स्थापित करने की सम्भावना नहीं है।

***माननीय श्री सत्यनारायण सिन्हा:** श्रीमान, अब प्रस्ताव पर मत लिया जाये।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"अब प्रस्ताव पर मत लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** क्या डॉ. अम्बेडकर बोलना चाहते हैं?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** (बम्बई : जनरल): मुझे कुछ नहीं कहना है।

***अध्यक्ष:** तब मैं पूरी अनुसूची पर मत लूंगा क्योंकि बाद में कोई भी संशोधन नहीं उपस्थित किया गया।

***श्री एच.वी. कामत:** प्रान्तों के नामों के संशोधनों के अधीन रहते हुए।

***अध्यक्ष:** "अधीन रहते हुए" का कोई प्रश्न नहीं है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह प्रश्न प्रान्तों के सामने रखा जायेगा। यदि हमें कोई ऐसा उत्तर मिला जिसके

[अध्यक्ष]

फलस्वरूप किसी परिवर्तन को करने की आवश्यकता पड़ी तो हम उस पर तृतीय पठन में विचार करेंगे। प्रस्ताव यह है कि:

"प्रथम अनुसूची को संविधान का अंग बना लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

प्रथम अनुसूची को संविधान का अंग बना लिया गया।

***अध्यक्ष:** आज सभा स्थगित करने के पूर्व हमें समय-सारिणी निश्चित करनी है। कुछ सदस्यों ने आज प्रात: यह कहा था कि हम कल बैठक करें। ("नहीं" और "हां" की ध्वनियां)

***श्रीमती एनी मैसकरीन:** क्या हमें बहुसंख्यक दल की तानाशाही भुगतनी होगी?

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से माननीय सदस्य का यह कथन निराधार है। किसी बहुसंख्यक समुदाय की तानाशाही का कोई प्रश्न नहीं है। केवल समय-सारिणी निश्चित करने का प्रश्न है और निस्सन्देह इस सभा की समय-सारिणी को देखकर गिरजे जाने के लिये भी समय निकाला जा सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। किन्तु यदि सदस्य रविवार को बैठक नहीं करना चाहते हैं तो यह दूसरी बात है।

***श्री आर.के. सिधवा:** यदि हमें अपना कार्य एक दिन में समाप्त करना है तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम कल रविवार को बैठक क्यों नहीं करें।

***अध्यक्ष:** हम एक दिन में कार्य समाप्त नहीं कर सकेंगे। यदि हमने कल भी बैठक की तो फिर भी हमें सोमवार को बैठक करनी होगी और यदि हमने कल बैठक नहीं की तो हमें मंगलवार को बैठक करनी होगी। इसलिये यदि सदस्यों की इच्छा हो तो हम कल बैठक कर सकते हैं।

***कुछ माननीय सदस्य:** "जी नहीं, जी नहीं"

***अध्यक्ष:** तब मैं इस पर मत लूंगा।

प्रस्ताव यह है कि:

"सभा कल रविवार को समवेत् हो"

सभा में सदस्यों ने हाथ खड़े करके मत दिये, पक्ष में: 41, विपक्ष में : 35 ।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** तब हम कल बैठक करेंगे।

इसके पश्चात् सभा रविवार तारीख 16 अक्तूबर 1949 के दस बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

GIPD–HS-191 PSD–3-12-52–320